नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 261, नई दिल्ली, गुरुवार 27 नवम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सूरज हमे ये सिखाता है की हर काली रात के बाद उझाला ज़रूर आता है।

03 पार्यावरण पाठशाला : "पर्यावरण इन्फ्लुएंसर बनें – बदलते भारत की नई पहचान बनें"
06 ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण: बदलता मौसम, घटता जीवन
08 सरायकेला खरसावां जिला में करोड़ों रु का बालू का खेल

बिना प्रमाणन के 6+1 ई-रिक्शा, ई कार्ट और अन्य ई वाहनों का काला कारोबार ! डीटीओ/आरटीओकी नाक के नीचे चल रहा बड़ा गेम !

संजय बाटला

नई दिल्ली। यातायात सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आईसीएटी/ एआरएआई एवम्-अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा जारी (ICAT/ARAI) प्रमाणन के बिना ही 6+1 सीटिंग क्षमता वाले ई-रिक्शा और अन्य ई वाहन खुलेआम बनाए और बेचे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा कारोबार डीटीओ / आरटीओ की नाक के नीचे चल रहा है और विभाग खामोश है।

नियम साफ कहते हैं कि एल 3 श्रेणी ई-रिक्शा की अधिकृत क्षमता सिर्फ 4+1 है, लेकिन शहर में कई कंपनियां बिना किसी तकनीकी परीक्षण, बिना मान्यता और बिना डिजाइन स्वीकृति के 6+1 ई-रिक्शा और अन्य ई वाहन तैयार कर सड़क पर उतार रही हैं। न तो इनके पास सुरक्षा प्रमाण है, न गुणवत्ता की गारंटी - फिर भी ये वाहन धड़ल्ले से बेचे और चलाए जा रहे हैं।

आवेदन में लगाए गए आरोप गंभीर यह वाहन क्षमता से अधिक सीटें जोड़कर बनाए जा रहे हैं, जो सीधा-सीधा नियमों की धज्जियां उड़ाना है। बिना प्रमाणन ई-रिक्शा और अन्य ई वाहनों को तैयार करना यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। कई डीलर ऐसे वाहनों का पंजीयन कराकर इन्हें नियमों की आड़ में सड़क पर दौड़ा रहे हैं। तकनीकी मानकों का पालन न होने से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

शहर में चर्चा गर्म लोगों का कहना है कि यदि डीटीओ / आरटीओ अपनी आंखें बंद रखेगा, तो सड़कें ऐसे अवैध ई-रिक्शों और अन्य ई वाहनों से भर जाएंगी और किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना को दावत मिल जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या डीटीओ/ आरटीओ को इस अनियमितता की जानकारी नहीं? या फिर कोई बड़ी सांठगांठ चल रही है?

मांग बनी तेज आवेदक ने डीटीओ/ आरटीओ से मांग की है कि सभी ई-रिक्शा निर्माताओं और डीलरों की जांच की जाए।, बिना आईसीएटी/ एआरएआई एवम्-अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा जारी (ICAT/ARAI) प्रमाणन बने वाहनों का निर्माण तुरंत रोका जाए।, नियम तोड़कर बेचे जा रहे 6+1 क्षमता वाले रिक्शों और अन्य ई वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की जाए।, तुरंत सड़क पर दौड़ रहे सभी संदिग्ध ई-रिक्शा और अन्य ई वाहनों को जब्त किए जाएं।

रसूलपुर के जंगल में बिना परमिशन श्मशान भूमि की जमीन पर अवैध मिट्टी खननः ग्रामीणों के हंगामा काटने पर डंपर चालक व जेसीबी चालक भागने में कामयाब

परिवहन विशेष न्यूज

बदायूं: थाना बिनावर क्षेत्र में जगह-जगह आजकल रायल्टी के नाम पर अवैध खनन परवान पर है।लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को नोटों की चमक के आगे यह अवैध खनन दिखाई नही दे रहा है। लेकिन बुधवार की तड़के सुबह ग्रामीणों का इस अवैध खनन पर सब्र का बांध टूट गया और मौके पर पहुंच कर दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा मौके पर पहुंची डायल 112 पीआरबी व थाना बिनावर पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हो रहे अवैध खनन की जानकारी होने के बाद भी तहसील प्रशासन,खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन अवैध सुविधाशुल्क लेकर कुम्भकर्णी नींद सो रहा है।तहसील,खनन एवं पुलिस प्रशासन की जेबें गरम कर खनन माफिया प्रतिदिन खुलेआम लाखों के राजस्व को चोट दे रहे है। आपको बता दें कि ताजा मामला जनपद बदायूं के थाना बिनावर अंतर्गत ग्राम पंचयत रसूलपुर के जंगल में लगभग 1 महीने से शमशान भूमि की जमीन पर हाईवे बाईपास परमिशन की आड़ में मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था। लेकिन खनन माफिया ने बिना परमिशन शमशान भूमि व ग्राम सभा की जमीन पर मिट्टी का अवैध खनन कर डाला जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गये और जमकर हंगामा काटा तथा खनन में लिप्त डंफरों को भी रोंक लिया। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी से पता चला है कि मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने तीन लोगों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले जाया गया, बाद में उनसे आर्थिक सांठ गांठ कर थाने से छोड़ दिया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है बाकी के कुछ डंपर चालक व जेसीबी मशीन चालक पुलिस की गाड़ी को आता देख भागने में कामयाब रहे।

वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 पीआरबी पुलिस व थाना बिनावर पुलिस ने उग्र भीड़ को समझाबुझाकर शांत कराया।

इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि मिट्टी का अवैध खनन का खेल ठेकेदार बबलू नाम के व्यक्ति द्वारा बिना परमिशन से किया जा रहा था।

इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि हाईवे बन रहा है परमिशन से ही मिट्टी उठाई जा रही थी।

वही बदायूं खनन विभाग अधिकारी गुलशन कुमार का कहना है कि उनके द्वारा शमशान भूमि की जमीन से मिट्टी खुदाई कर डंपरों द्वारा उठाने की किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

पिंकी कुंडू
महासचिव,
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ
भाजपा दिल्ली प्रदेश,
सदस्य उज्जवला योजना
भाजपा दिल्ली प्रदेश
https://tolwa.com/about.html
tolwadelhi@gmail.com
tolwaindia@gmail.com
9811732095

आज का साइबर सुरक्षा विचार:- कैसे अपराधी गेमिंग परचेज़ का दुरुपयोग करते हैं?

इन-गेम परचेज़, जो मूल रूप से केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए थे, अब सीमा-पार मनी लॉन्ड्रिंग के गुप्त चैनल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपराधी अवैध धन को वैध गेमिंग ट्रांज़ैक्शन के रूप में छिपाकर वर्चुअल करेंसी, स्किन्स और गिफ्ट कार्ड्स का उपयोग करते हैं ताकि वित्तीय ट्रेल्स को धुंधला किया जा सके और पारंपरिक निगरानी से बचा जा सके।

अपराधियों का तरीका (Modus Operandi) साइबर अपराधी गेमिंग इकोसिस्टम का फायदा उठाते हैं क्योंकि यह गुमनामी, वैश्विक पहुँच और भारी ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम प्रदान करता है। उनके तरीके इस प्रकार हैं:

1. वर्चुअल करेंसी और स्किन्स का उपयोग
2. अवैध धन से इन-गेम करेंसी, स्किन्स या दुर्लभ आइटम खरीदना।
3. इन्हें सेकेंडरी मार्केट (जैसे स्किन-ट्रेडिंग साइट्स, ऑक्शन प्लेटफॉर्म) पर बेचकर "साफ" पैसा बनाना।
4. स्किन्स डिजिटल बेयरर एसेट्स की तरह काम करते हैं—आसानी से ट्रांसफर होते हैं, ट्रेस करना मुश्किल।
5. गेमिंग वॉलेट्स के जरिए सीमा-पार ट्रांसफर
6. एक देश में वॉलेट को अवैध धन से टॉप-अप करना।
7. दूसरे देश में कैश-आउट या ट्रेड करना, बैंकिंग निगरानी से बचना।
8. गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में AML नियमों की कमी का फायदा उठाना।
9. माइक्रोट्रांज़ैक्शन से ट्रेल छिपाना
10. बड़ी रकम को हजारों छोटे परचेज़ में तोड़ना।

*यह वैध गेमिंग गतिविधि में मिल जाते हैं, जिससे पकड़ना कठिन हो जाता है।

1. अपराधी "सामान्य गेमर व्यवहार" की नकल करते हैं ताकि संदेह न हो।
2. गिफ्ट कार्ड्स और डिजिटल कोड्स
3. अवैध धन से गेमिंग गिफ्ट कार्ड्स खरीदना।
4. इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड या बेचकर वापस उपयोगी धन में बदलना।
5. गिफ्ट कार्ड्स पोर्टेबल, गुमनाम और व्यापक रूप से स्वीकार्य होते हैं।
6. ऑनलाइन मार्केटप्लेस में मिलीभगत
7. नकली अकाउंट बनाकर आइटम्स को बढ़ी हुई कीमत पर "ट्रेड" करना।
8. अकाउंट्स के बीच कृत्रिम रूप से वैल्यू ट्रांसफर करना, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग छिप सके।
9. उदाहरण: एक सामान्य स्किन को $1000 में बेचना।

10. बॉट्स और ऑटोमेटेड अकाउंट्स का उपयोग
11. बॉट्स से वैध गेमिंग गतिविधि का दिखावा करना।
12. बार-बार परचेज़ और ट्रेड को ऑटोमेट करके लॉन्ड्रिंग को बड़े पैमाने पर करना।
13. मनोवैज्ञानिक शोषण
14. युवा गेमर्स को निशाना बनाना जो अनजाने में मध्यस्थ बन जाते हैं।
15. उन्हें आइटम्स या गिफ्ट कार्ड्स रीसेल करने के लिए "आसान पैसा" ऑफर करना।

रोकथाम के उपाय (Counter Mechanisms):- सरकारें, नियामक और गेमिंग कंपनियाँ दुरुपयोग रोकने के लिए नियंत्रण कड़ा कर रही हैं। मुख्य उपाय इस प्रकार हैं:

1. गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए AML नियम
2. प्लेटफॉर्म्स अब Anti-Money Laundering (AML) अनुपालन के अधीन हैं।
3. अनिवार्य Know Your Customer (KYC) चेक, संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग।
4. ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और AI टूल्स
5. AI आधारित एनालिटिक्स असामान्य परचेज़ पैटर्न पकड़ते हैं।
6. संकेत: बार-बार हाई-वैल्यू ट्रेड्स, तेज़ी से वॉलेट टॉप-अप, सीमा-पार गतिविधि।
7. कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग - INTERPOL Purple Notices जारी करता है ताकि 196 देशों में जानकारी साझा की जा सके।
8. राष्ट्रीय एजेंसियाँ गेमिंग कंपनियों के साथ मिलकर संदिग्ध अकाउंट्स को ट्रैक करती हैं।
9. गुमनामी पर सीमाएँ
10. गुमनाम अकाउंट्स पर प्रतिबंध।
11. सत्यापित पेमेंट मेथड्स से लिंक करना अनिवार्य।
12. वॉलेट बैलेंस और ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम पर कैप।
13. सीमा-पार नियामक सामंजस्य - देश गेमिंग से जुड़े AML नियमों को एक समान बनाने पर काम कर रहे हैं।
14. अपराधियों द्वारा देशों के बीच छलांग लगाने से बचाव।
15. जन-जागरूकता और उद्योग प्रशिक्षण
16. गेमर्स, अभिभावकों और डेवलपर्स को धोखाधड़ी जोखिमों के बारे में शिक्षित करना।
17. मॉडरेटर्स और कस्टमर सपोर्ट को लॉन्ड्रिंग पैटर्न पहचानने का प्रशिक्षण।
18. तकनीकी सुरक्षा उपाय
19. इन-गेम एसेट्स के लिए ब्लॉकचेन आधारित ऑडिट ट्रेल्स।
20. गेमिंग इकोसिस्टम में मजबूत फ्रॉड डिटेक्शन APIs।
21. उपभोक्ता स्तर पर सुरक्षा
22. गेमर्स को आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स के बाहर ट्रेडिंग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना।
23. "बहुत अच्छा है सच होने के लिए" जैसे ऑफर्स से सावधान करना।

इन-गेम परचेज़ अब केवल मनोरंजन नहीं रहे—ये वित्तीय अपराध का नया माध्यम बन गए हैं। अपराधी गुमनामी, वैश्विक पहुँच और गेमर्स की मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। लेकिन एएमएल नियम, एआई आधारित मॉनिटरिंग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जन-जागरूकता इन खामियों को धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं।

सतर्क रहें। सशक्त बनें।
डिजिटल जागरूकता = राष्ट्रीय सुरक्षा

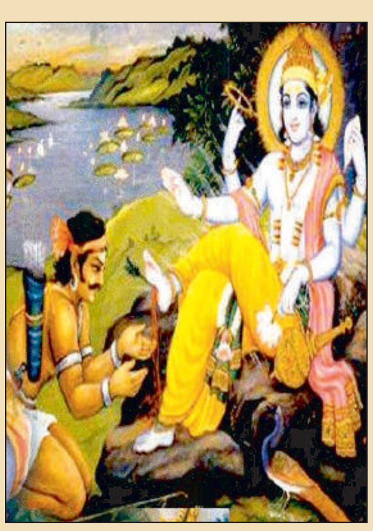

क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने कब कब चरण पादुका ग्रहण नहीं की थी ?

हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने दो समय चरण पादुका ग्रहण नहीं की थी एक जब वह बाल्यावस्था में थे और उनको अपनी आराध्य देवी गौ माता से सेवा का अवसर का वरदान प्राप्त हुआ था और एक उस समय जब वह द्वारकाधीश थे और सुदामा उनके द्वारा पर आया था और उन्होंने 3नो लोक उस पर वार दिया था..अर्थात भक्त के वश में है भगवान...नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं..इसलिए गौ माता क्या है वह भगवान की भी भगवान है और भक्त के वश मे है भगवान......

एक गौ माता जो समस्त चराचर की साक्षात देवी है इस धरती लोक पर..एक उसके वश में है भगवान और एक अपने सच्चे गौ भक्तो के वश में है भगवान... निः स्वार्थ गौ सेवा करने वालों के और सच्चे परम भक्तो के प्रेम के भूखे हैं भगवान

इस धरती लोक पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में साक्षात गौ माता की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है...हे मानव यह बहुत ही दुर्लभ है बहुत ही विरले है ऐसा अवसर इस धरती लोक पर दोबारा कभी नहीं आएगा ..

कर ले तू गौ की सेवा काम तेरे ये आएगी अंत समय जब आएगा साथ तेरे ये जायेगी

शास्त्र कहते हैं कि अठारह दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 80% सफाया हो गया था

युद्ध के अंत में, संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे महानतम युद्ध हुआ था। उसने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि क्या वास्तव में यहीं युद्ध हुआ था? यदि यहां युद्ध हुआ था तो जहां वो खड़ा है, वहां की जमीन रक्त से सराबोर होनी चाहिए। क्या वो आज उसी जगह पर खड़ा है जहां महान पांडव और कृष्ण खड़े थे?

तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने वहां आकर धीमे और शांत स्वर में कहा, "आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे!"

संजय ने धूल के बड़े से गुबार के बीच दिखाई देने वाले भगवा वस्त्रधारी एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उस ओर सिर को घुमाया।

"मुझे पता है कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहां हैं, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते, जब तक आप ये नहीं जान लेते हैं कि असली युद्ध है क्या?" बूढ़े आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा।

"तुम महाभारत का क्या अर्थ जानते हो?" तब संजय ने उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछा।

वह कहने लगा, "महाभारत एक गाथा मात्र नहीं है, एक वास्तविकता भी है, निश्चित रूप से एक दर्शन भी है।"

"क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्शन क्या है?" संजय ने निवेदन किया।

अवश्य जानता हूं, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं, बल्कि आपकी पाँच इंद्रियाँ हैं; दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। और क्या आप जानते हैं कि कौरव क्या हैं? उसने अपनी आँखें संकीर्ण करते हुए पूछा।

कौरव ऐसे सौ तरह के विकार हैं, जो आपकी इंद्रियों पर प्रतिदिन हमला करते हैं लेकिन आप उनसे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते है। पर क्या आप जानते हैं कैसे?

संजय ने फिर से न में सर हिला दिया।

"जब कृष्ण आपके रथ की सवारी करते हैं!" यह कह वह वृद्ध व्यक्ति बड़े प्यार से मुस्कुराया और संजय अंतर्दृष्टि खुलने पर जो नवीन रत्न प्राप्त हुआ उस पर विचार करने लगा...

"कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शक प्रकाश हैं और यदि आप अपने जीवन को उनके हाथों में सौप देते हैं तो आपको फिर चिंता करने की कोई आवश्कता नहीं है।" वृद्ध आदमी ने कहा।

संजय अब तक लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया।

फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़ रहे हैं?

भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक हैं, अश्वत्थामा हमारी वासनाएं, इच्छाएं हैं, जो कि जल्दी नहीं मरतीं।

दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं, इच्छाओं का प्रतीक है।

द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं।

जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है कि 'मैं ये देह हूं' का भाव।

द्रुपद वैराग्य का प्रतीक हैं।

अर्जुन मेरी आत्मा हैं, मैं ही अर्जुन हूं और स्वनियंत्रित भी हूं।

कृष्ण हमारे परमात्मा हैं।

पांच पांडव पांच नीचे वाले चक्र भी हैं, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक।

द्रोपदी कुंडलिनी शक्ति है, वह जागृत शक्ति है, जिसके 5 पति 5 चक्र हैं।

ओम शब्द ही कृष्ण का पांचजन्य शंखनाद है, जो मुझ और आप आत्मा को ढ़ाढ़स बंधाता है कि चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं,

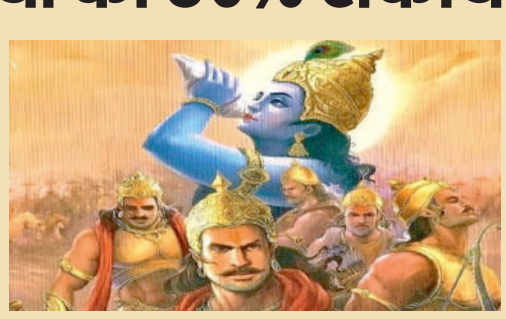

अपनी बुराइयों पर विजय पा, अपने निम्न विचारों, निम्न इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानि कौरवों से लड़ाई कर अर्थात अपनी मेटेरियलिस्टिक वासनाओं को त्याग कर और चैतन्य पाठ पर आरुढ़ हो जा, विकार रूपी कौरव अधर्मी एवं दुष्ट प्रकृति के हैं।

श्री कृष्ण का साथ होते ही 72000 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है, और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्यता, आत्मा, जागृति हूं, मैं अन्न से बना शरीर नहीं हूं, इसलिए उठो जागो और अपने आपको, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं सच को जानो, भगवान को पाओ, यही भगवद प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार है, यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।

ये शरीर ही धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है। अर्जुन आप हो, संजय आपके आध्यात्मिक गुरु हैं।

वृद्ध आदमी ने दु:खी भाव के साथ सिर हिलाया और कहा, "जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अपने बड़ों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में वे संपूर्ण थे, अब आपको लगता है वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं। उनमें दोष हैं। और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। तब आपको यह भी अहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है और यही वजह है कि गीता महत्वपूर्ण है।"

संजय धरती पर बैठ गया, इसलिए नहीं कि वह थका हुआ था, तक गया था, बल्कि इसलिए कि वह जो समझ लेकर यहां आया था, वो एक एक कर धराशाई हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, तब कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? "आह!" वृद्ध ने कहा। आपने अंत के लिए सबसे अच्छा प्रश्न बचाकर रखा हुआ है।

"कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है। वह इच्छा है। वह सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वह आप का ही एक हिस्सा है, लेकिन वह अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखता है। और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई न कोई कारण और बहाना बनाता रहता है।"

"क्या आपकी इच्छा; आपको विकारों के वशीभूत होकर उनमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती है?" वृद्ध ने संजय से पूछा।

संजय ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया और भूमि की तरफ सिर करके सारी विचार श्रंखलाओं को क्रमबद्ध कर मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करने लगा। और जब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, वह वृद्ध व्यक्ति धूल के गुबारों के मध्य कहीं विलीन हो चुका था। लेकिन जाने से पहले वह जीवन की वो दिशा एवं दर्शन दे गया था, जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त संजय के सामने अब कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था।

प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर फहराता ध्वज भारत की अस्मिता का प्रतीक

प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर फहराता ध्वज भारत की अस्मिता का प्रतीक है. ये ध्वजारोहण पाँच सौ वर्ष के सतत संघर्ष की याद दिलाता है. ये भारत की गौरवपूर्ण विरासत का चिह्न बनकर हमेशा लहराता रहे. भव्य मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्वज राष्ट्र के स्वाभिमान की अलख जगाता है.

आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर भगवा धर्म ध्वज को औपचारिक रूप से फहराया गया।।

झंडे की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है।

भगवा रंग त्याग, ताकत और वीरता का प्रतीक है।

जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, धर्म ध्वज पर तीन पवित्र निशान होते हैं:

1. सूर्य - जो सत्य और प्रकाश को दिखाता है
2. ओम - जो हमेशा रहने वाली ब्रह्मांडीय ध्वनि को दिखाता है
3. कोविदार का पेड़ - जो जीत और खुशहाली को दिखाता है

झंडा 190 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर फहराया गया।

यह घटना इस बात की ऐतिहासिक पुष्टि होगी कि धर्म की जीत हमेशा रहेगी।

मैग्नीशियमः एक अदृश्य कमी जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकती है

क्या आप जानते हैं? हमारे शरीर की 600 से अधिक जैविक क्रियाओं में मैग्नीशियम आवश्यक है। फिर भी, अधिकतर लोग इसकी कमी से अनजान रहते हैं। मैग्नीशियम क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग शरीर के लगभग हर अंग में होता है, विशेषकर हृदय, मांसपेशियों, नसों और गुर्दों में।

यदि आपको अक्सर थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव, धड़कन तेज होना या आंख फड़कना महसूस होता है, तो इसका कारण मैग्नीशियम की कमी हो सकती है।

ध्यान दें: आपके ब्लड टेस्ट में अक्सर इसकी कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि शरीर का केवल 1% मैग्नीशियम ही रक्त में पाया जाता है। इसीलिए यह एक "अदृश्य कमी" कहलाती है।

दुनिया भर में मैग्नीशियम की कमी — एक छुपा हुआ संकट अनुमानों के अनुसार अमेरिका में लगभग 80% लोग मैग्नीशियम की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। भले ही कुछ लोग अपनी जरूरत के मुताबिक मैग्नीशियम ले रहे हों, विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल कमी न आने भर के लिए पर्याप्त होता है।

मैग्नीशियम की कमी से जुड़ी 22 चिकित्सा समस्याएँ शोध और विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार मैग्नीशियम की कमी इन गंभीर स्थितियों को जन्म दे सकती है:

1. चिंता, घबराहट
2. अस्थमा
3. रक्त के थक्के
4. कब्ज, IBS जैसी आंत समस्याएं
5. डिप्रेशन
6. डायबिटीज
7. हृदय रोग
8. उच्च रक्तचाप
9. अनिद्रा
10. माइग्रेन
11. मांसपेशी दर्द, फाइब्रोमायल्जिया
12. महिलाओं की समस्याएं (PMS, बांझपन, प्रीक्लेम्पसिया)
13. ऑस्टियोपोरोसिस
14. किडनी, लिवर संबंधी समस्याएँ

... और भी कई

शुरुआती लक्षण
1. भूख कम होना
2. सिरदर्द
3. मितली
4. थकान, कमजोरी

गंभीर लक्षण
1. हाथ-पैर सुन्न होना
2. मांसपेशियों में ऐंठन
3. झटके/दौरे
4. व्यक्तित्व में बदलाव
5. अनियमित दिल की धड़कन

मैग्नीशियम और डायबिटीज, कैंसर एवं हड्डियों के रोग शोध में पाया गया है कि मैग्नीशियम इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है।

1. मैग्नीशियम हड्डियों का खनिज घनत्व बढ़ाने में मदद करता है।
2. उच्च मैग्नीशियम सेवन से कोलोन कैंसर का जोखिम 12–13% तक कम पाया गया है।

भोजन में छिपी समस्या — मिट्टी में मैग्नीशियम घट चुका है भले ही पालक, अवोकाडो, बीज, नट्स, समुद्री सब्जियाँ, और अनाज मैग्नीशियम के स्रोत हैं, लेकिनः

1. आज की मिट्टी में पहले से 60–70% कम मैग्नीशियम है।
2. 100 वर्ष पहले भोजन से 500mg मैग्नीशियम मिलता था, आज मुश्किल से 200mg।

वे आदतें जो कमी बढ़ाती हैं:
1. चीनी का ज्यादा सेवन
2. एल्कोहल/कैफीन का अत्यधिक प्रयोग
3. सोडा ड्रिंक्स
4. दवाएँ: एंटीबायोटिक्स, डाइयूरेटिक्स, एंटी-एसिड्स, इंसुलिन
5. बढ़ती उम्र
6. पाचन समस्याएं (लीकी गट, IBS, क्रोहन)

मैग्नीशियम अन्य पोषक तत्वों के साथ संतुलित क्यों होना चाहिए? मैग्नीशियम का संतुलन इन 3 पोषक तत्वों के साथ आवश्यक है:

पोषक तत्व	भूमिका
1. कैल्शियम	मांसपेशियों को संकुचित करता है
2. मैग्नीशियम	मांसपेशियों को शिथिल करता है
3. विटामिन D3	मैग्नीशियम और कैल्शियम का अवशोषण
4. विटामिन K2	कैल्शियम को गलत जगह जमा होने से रोकता है

केवल कैल्शियम की गोलियां लेना दिल का दौरा और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है, यदि K2 और Mg का संतुलन न हो। अधिक विटामिन D लेने पर मैग्नीशियम की कमी और गलत कैल्सीफिकेशन हो सकता है।

कौन सा मैग्नीशियम लेना बेहतर है, प्रकार विशेषता

1. Magnesium Glycinate सबसे उच्च अवशोषण; नींद व तनाव में मदद
2. Magnesium Citrate अच्छा अवशोषण + कब्ज में लाभ
3. Magnesium Threonate मस्तिष्क व याददाश्त के लिए श्रेष्ठ
4. Magnesium Chloride शरीर में अच्छी तरह अवशोषित
5. Magnesium Sulfate (Epsom Salt) स्नान में उपयोग; त्वचा के माध्यम से अवशोषण

Avoid: Magnesium Stearate

अनचाहा एडिटीव डोज़ का अंदाज़ा खुद "बॉवेल टेस्ट" से: अगर मल पतला होने लगे, मतलब मात्रा अधिक हो गई है।

पूरक के अतिरिक्त — नैचुरल तरीके
1. एप्सम सॉल्ट बाथ
2. मैग्नीशियम ऑयल मसाज
3. हरी सब्जियों का जूस

निष्कर्ष मैग्नीशियम की कमी दिखती नहीं, लेकिन शरीर के कई रोगों की जड़ बन सकती है।

खाने को बार-बार गर्म करके खाते हैं? जानें लें क्या कहता है आयुर्वेद और क्या हैं नुकसान

आज के समय में अधिकांश लोग खाने को बार-बार गर्म करके खाते हैं. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो जान लें इसे खाने के नुकसान.

कभी ज्यादा काम या फिर खराब दिनचर्या की वजह से कई बार समय पर खाना-पीना कुछ नहीं हो पाता है. ऐसे में सुबह का भोजन शाम और शाम का रात को गर्म करके खाना पड़ता है, लेकिन आयुर्वेद में भोजन को बार-बार गर्म करना हानिकारक माना गया है. कई लोगों में आदत होती है कि वे ठंडा खाना नहीं खा पाते हैं. सर्दियों में अमूमन भोजन को बार-बार गर्म करना पड़ता है, ऐसे में भोजन में मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं.

आयुर्वेद कहता है कि भोजन का सबसे बड़ा गुण तात्कालिकता है, मतलब ताजा भोजन ग्रहण करना. जब भोजन को बार-बार गर्म किया जाता है तो भोजन का स्वाद, रस, ऊर्जा और ऊष्मा बदल जाती है. ऐसे भोजन को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. जठराग्नि उसे ठीक प्रकार से पचा नहीं पाती और परिणाम होता है भारीपन, गैस, आलस्य, अपच और थकान. बार-बार गर्म किया भोजन मन और तन दोनों पर प्रभाव डालता है. ऐसा भोजन करने से शरीर में जड़ता आती है, कोशिकाओं को कम पोषण मिलता है और बालों और स्किन से चमक गायब हो जाती है.

अगर लंबे समय तक ऐसा ही भोजन किया जाए तो ये शरीर में बीमारियों को पनपने का वातावरण देने लगता है. कुल मिलाकर दोबारा गर्म किया भोजन प्राणहीन हो जाता है. अगर भोजन को दोबारा गर्म करना ही है, तो इसके कुछ व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं. इसके लिए जितना खाना एक समय पर खाना है, उतना ही बनाएं.

दूसरा, अगर खाने को दोबारा गर्म करना है तो धीमी आंच पर भोजन को गुनगुना करें. अगर दाल या सब्जी को गर्म करना है तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाया जा सकता है, हालांकि कुछ चीजों को दोबारा गर्म करने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए.

कौन सा खाना गर्म करने से बचें-

आयुर्वेद कहता है कि पालक, मेथी, चुकंदर, चावल, अंडा, मांस, और तली हुई चीजों को एक बार हल्की आंच पर गर्म किया जा सकता है, लेकिन दाल, रोटी, बिना पत्तेदार सब्जी और खिचड़ी को गर्म करने से बचें. ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि रात का बना खाना कभी सुबह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन में ऊर्जात्मक गुण 6 घंटों तक ही रह पाते हैं.

गर्भावस्था के दौरान गाना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत लाभकारी है

शोध से पता चलता है कि जब एक गर्भवती महिला गाती है, तो भ्रूण के श्रवण और भाषा केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास होता है और मां की आवाज और भाषण की लय को पहचानने में मदद मिलती है।

यह श्रवण उत्तेजना जन्म से पहले ही भाषा सीखने और भावनात्मक रूप से परिचित होने की नींव रखती है। साथ ही, गायन शांत करने वाले हार्मोनों को सक्रिय करके माँ के तनाव और चिंता को कम कर सकता है, जिससे गर्भावस्था अधिक संतुलित और स्वस्थ रहती है।

जन्म के बाद भी, इसके लाभ जारी रहते हैं। नवजात शिशु के लिए गाना गाने से शिशु की भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, परिचित ध्वनियों के माध्यम से उसे आराम और सुरक्षा मिलती है। अध्ययनों से पता चलता है कि माता-पिता का गाना रोने को शांत कर सकता है, नींद के पैटर्न में सुधार कर सकता है, और माता-पिता-शिशु के बीच के रिश्ते को गहरा कर सकता है, जिससे भावनात्मक लगाव और तंत्रिका विकास दोनों में वृद्धि होती है। यह सरल, प्राकृतिक क्रिया माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते को मज़बूत करती है और शुरुआत से ही संज्ञानात्मक और भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देती है।

स्रोतः पर्सिको, जी., एंटोलिनी, एल., वेरगानी, पी., कॉस्टेंटिनी, डब्ल्यू., नार्डी, एम.टी., बेलोटी, एल., और मोल्ट्रासियो, आई. (2017)। गर्भावस्था के दौरान और जन्म के बाद माँ द्वारा लोरी गानाः माँ-शिशु के संबंध और नवजात शिशुओं के व्यवहार पर प्रभाव। महिलाएँ और जन्म, 30(4), पृष्ठ 214-पृष्ठ 220।

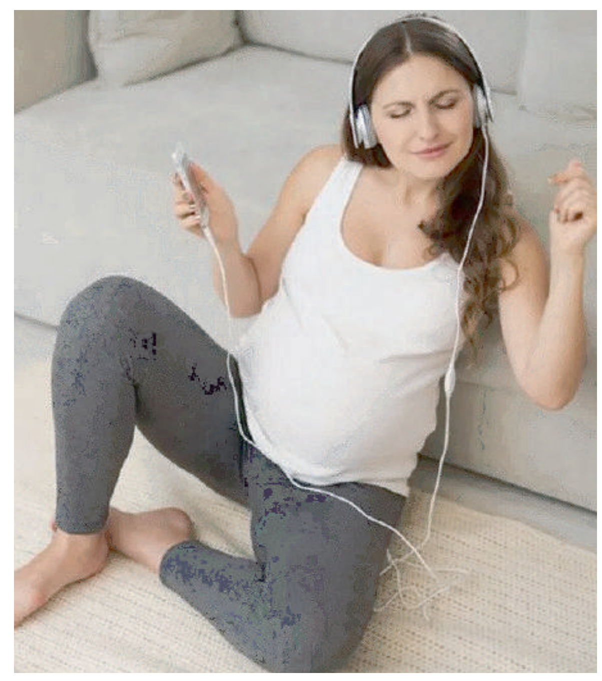

शकरकंद खाने के अद्भुत जादुई लाभ...

इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं...!!

1. ● शकरकंद खाना हर किसी को पसंद होता है,
2. ● ये स्वादिष्ट लगने के साथ साथ अनेक पोषक तत्वो से भरपूर होता है।
3. ● ये सर्दियो में मिलने वाला एक मीठा फल है।
4. ● ये हमारे शरीर को ठण्ड लगने से भी बचाता है।
5. ● इसके सेवन से आँखों के रौशनी बढ़ती है।
6. ● चेहरे पर पड़ी झुर्रिया खत्म हो जाती है।
7. इसमें निहित गुण हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से बचाते है।

जानिए शकरकंद खाने के एक दर्जन फायदे...

1. कोलाइन तत्व शरीर के लिये काफी जरुरी होता है, यह तत्व शकरकंद में पाया जाता है। इसके सेवन से मासपेशियो की गतिशीलता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है। शकरकंद में दर्द निरोधक तत्व पाया जाता है, जो गठिया, एसिडिटी, हार्टबर्न जैसी बीमारियों से बचाता है।
2. त्वचा रोगों में, अस्थमा में, मधुमेह और थायराइड के रोगी को खाना चाहिए। इसके खाने से इन सभी बीमारी से पीड़ति व्यक्ति को लाभ होता है।
3. शकरकंद में आयरन अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके सेवन से शरीर में लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाये (RBC, WBC) सही तरीके से बनती है।
4. शकरकंद खाने से दिल की धड़कन कण्ट्रोल में रहती है। इसे खाने से मासपेशियो में होने वाली ऐठन भी समाप्त हो जाती है।
5. तनाव दूर करने के लिए भी इसे खाना फायेदमंद है।
6. शकरकंद के अंदर स्टार्च और कैलोरी का स्तर नार्मल होता है। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे तत्व पाए जाते है। इसके खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बिलकुल नहीं बढ़ता।
7. इसके खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
8. प्रदर रोग को ठीक करने में ये दवाई का काम करता है। इसमें जिमीकंद की बराबर मात्रा लेकर धुप में सूखा ले। जब यह अच्छी तरह सुख जाये तब दोनों को पीसकर बारीक़ पाउडर बना ले। अब एक गिलास पानी में 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच ये पाउडर मिलाकर खाये।
9. इसके खाने से ब्लड प्रेशर कण्ट्रोल में रहता है, और इसका सेवन करने से हार्ट अटैक के सम्भावना भी कम हो जाती है।
10. अल्सर के मरीज को इसका रोजाना सेवन करना चाहिए।
11. जोड़ो के दर्द में इसका उबला पानी लगाने से बहुत आराम मिलता है।
12. शकरकंद में आलू से अधिक फाइबर होता है, जो पाचनशक्ति को बढ़ाता है, और कब्ज को दूर करता है।

बाजार में बनने-वाली जलेबी स्वादिष्ट तो होती है, पर उसकी गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होती है

बाजार में बनने-वाली जलेबी स्वादिष्ट तो होती है, पर उसकी गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होती है। अनेक छोटी-बड़ी मिलावटें (सस्ते तेल, मिलावटी घी/मक्खन, कैंसर की बीमारी हो सके वैसे कृत्रिम रंग/ग्लूकोज-सिरप, दोबारा इस्तेमाल किया गया तेल आदि) जलेबी को सस्ता बनाने के लिए की जाती हैं — जो स्वाद बढाती हैं पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

1) आम मिलावट-प्रथाएँ (और वे कैसे की जाती हैं)

1. सस्ते/पाम-आधारित तेल या रीसाइकिल्ड (दोबारा उपयोग) तेल का प्रयोग — महंगा शुद्ध घी या प्यूरीफाइड तेल न लेकर, कई दुकाने पाम-आधारित तेल, या बार-बार इस्तेमाल किया हुआ तेल उपयोग करती हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम (टॉक्सिन, ट्रांस-फैटी एसिड) बढ़ते हैं। निरीक्षणों में रीसाइक्ल्ड तेल और गैर-फूड-ग्रेड तेल पाए जाने की खबरें मिल चुकी हैं।
2. मिलावटी घी/मक्खन (घी में पाम ऑयल मिलाना) — शुद्ध घी की जगह सस्ते मिश्रण का उपयोग (या नकली/कम-गुणवत्ता घी) मिला देना। यह मिठाईयों की गुणवत्ता और पोषण घटा देता है। हालिया जाँचों में मिठाई बनाने में मिलावटी घी पाए जाने के मामले सामने आए हैं।
3. कृत्रिम रंग (Carcinogenic colors) और अवैध रंगद्रव्य — चमकदार पीले/केसरिया रंग के लिए कभी-कभी खाद्य-अनुशंसित न होने वाले रंगों का प्रयोग होता है; ये पेट एवं लिवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
4. चीनी की जगह ग्लूकोज-सिरप/सस्ता शुगर-सिरप/प्रिज़रवेटिव — शुद्ध खोया/चीनी के स्थान पर सस्ते शर्करा-सिरप और किस्म-किस्म के प्रिज़रवेटिव मिलाकर शेल्फ-लाइफ़ बढ़ाने की कोशिश होती है। इससे मिठाई की गुणात्मकता घटती और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं।
5. गंदगी, खराब पानी, या अनैच्छिक रसायनात्मक संदूषण — सफाई की कमी से सूक्ष्मजीवजन्य या रासायनिक संदूषण हो सकता है; कुछ मामलों में गैर-खाद्य ग्रेड फॉइल (चाँदी/सोना) भी उपयोग किया जाता है।

2) स्वास्थ्य जोखिम

बार-बार दोबारा इस्तेमाल किया गया तेल और हानिकारक तेल के अपघटन-उत्पाद—क्रोमैटिक रसायन, ट्रांस-फैट्स—हृदय रोग, सूजन, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या बढ़ा सकते हैं।

अवैध रंग तथा रासायनिक मिलावट से एलर्जी, त्वचा/पाचन समस्याएँ और लिवर-किडनी पर असर और कैंसर होना संभव है।

अधिक शक्कर/सिरप के कारण मोटापा, ब्लड-शुगर नियंत्रित न रहने वाले व्यक्तियों में डायबेटिक जटिलताएँ बढ़ सकती हैं। (पोषण-दृष्टि से भी ये खाद्य "खाली कैलोरी" अधिक देते हैं।)

3) भारत में हाल-के विकास (नियम-निरोध और कार्यवाहियाँ)

FSSAI व संबंधित प्राधिकारियों की छापेमारी/निगरानी — विभिन्न राज्यों में मिठाई प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण और जाँचें बढ़ी हैं; कुछ जगहों पर जलेबी/मिठाई में मिलावट पाकर सामग्री जब्त की गयीं और दुकानों पर नोटिस जारी हुए। (कर्नाटक में विशेष जांच अभियान; कई जगहों पर दूध/घी/तेल से जुड़ी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई)।

सरकार का उपभोक्ता-सचेतना अभियान — स्वास्थ्य मंत्रालय/PM-FSSAI से जुड़ी पहलें जैसे 'ऑयल और शुगर बोर्ड' जैसी जागरूकता गतिविधियाँ की गयीं ताकि खाने में छिपे चर्बी/शक्कर के बारे में जनता सचेत हो; साथ ही मीडिया-क्लैरिफिकेशन भी चला कि इन पहलों का मकसद परंपरागत स्ट्रीट-फूड को रोकना नहीं बल्कि उपभोक्ता ज्ञान बढ़ाना है।

4) उपभोक्ता के लिए व्यवहारिक सुझाव (कैसे पहचानें और क्या करें)

1. दुकान चुनें: भीड़-प्रसन्न, साफ-सुथरी और प्रमाणित दुकान चुनें; जहाँ ताज़ा तैयार करते हों और साफ़ बर्तनों/तेल का इस्तेमाल दिखे।
2. गंध और रंग देखें: बहुत तेज़ रासायनिक गंध, असामान्य रंग (अधिक चमकदार) सूचित करते हैं कि रंग/रसायन जोड़े गए हैं।
3. कठोर/चिपचिपापन जांचें: कुरकुरी और नर्म का संतुलन ताज़गी दर्शाता है; अत्यधिक चिपचिपा या तेल-सोखने वाला होने पर तेल दुबारा इस्तेमाल हुआ हो सकता है।
4. मूल्य-असामान्यताः बहुत सस्ती जलेबी अक्सर सस्ते तेल/कम गुणवत्ता सामग्री का संकेत हो सकती है।
5. पैकेजिंग व लेबलः पैक्ड जलेबी खरीदते समय लेबल, MRP, मैन्युफैक्चर/एक्सपायरी और फूड-ग्रेड संकेत देखें।
6. शिकायत/रिपोर्टः संदेह हो तो FSSAI के स्थानीय अधिकारी या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर रिपोर्ट करें; हालिया जांच-ड्राइव यही दर्शाती हैं कि शिकायतें मिलते ही कार्रवाई होती है।

5) निचोड़ — निष्कर्ष (सुगम व प्रभावशाली पंक्तियाँ)

बाजार-जलेबी स्वाद एवं संस्कृति का हिस्सा हैं, पर गुणवत्ता दुकानों और सामग्री-विनिर्देशों पर निर्भर करती है। मिलावट (सस्ता तेल, नकली घी, अवैध रंग, ग्लूकोज-सिरप) स्वास्थ्य के लिए जोखिम बन सकती है। उपभोक्ताओं की सतर्कता, नियमित निरीक्षण और FSSAI जैसी संस्थाओं की कार्रवाई से ही यह समस्या नियंत्रित होगी।

कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुछ मिठाई की दुकानों से फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा मिलावटी और हानिकारक केमिकल वाला दूध और अन्य हानिकारक सामग्री पकड़ी गई थी।

टॉप 5 पेय जो तुरंत पैरों में रक्त संचार बढ़ाते हैं

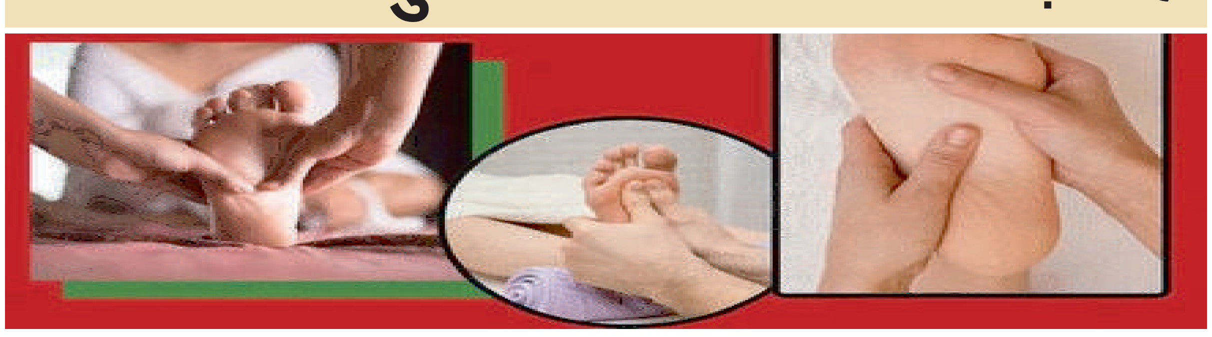

इनसे लाभः कमज़ोर रक्त प्रवाह, वैरिकोज़ वेन्स, पैरों में भारीपन/दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय/धमनियों की समस्या।

1. Beetroot Juice (चुकंदर का रस) :- फायदाः नाइट्रेट की वजह से रक्तवाहिनियाँ फैलाता है (Nitric Oxide), ब्लड फ्लो बढ़ाता है।
मात्राः 240–470 ml प्रतिदिन।
सावधानीः लो BP वालों को कम मात्रा, BP दवा लेने वालों को डॉक्टर सलाह।

2. Hibiscus Tea (जास्वंद/गुड़हल की चाय) फायदा::- क्वेरसेटिन से BP कम करती है, सूजन घटाती है, रक्त प्रवाह बेहतर।
मात्राः 1–2 कप/दिन।
सावधानीः BP/Diabetes दवा और डाइयूरेटिक दवा के साथ सावधानी।

3. Lemon Balm Tea (लेमन बाम चाय) फायदाः फ्लेवोनॉयड + रोज़मेरीनिक एसिड से रक्तवाहिनियाँ फैलती हैं, सूजन कम होती है।
मात्राः 1–3 कप/दिन।
सावधानीः नींद लाने वाली दवाओं के साथ सावधानी; गर्भवती सीमित मात्रा।

4. Garlic Tea (लहसुन की चाय) फायदा::- थक्के बनने से रोकता है, BP घटाता है, धमनियों की जकड़न कम करता है।
मात्राः 2 ग्राम प्रतिदिन (चाय/भोजन/कैप्सूल)।
सावधानीः ब्लड थिनर (Warfarin आदि) लेने वालों को डॉक्टर सलाह।

5. Horsetail Tea (हॉर्सटेल चाय) फायदा::- सिलिका + एंटीऑक्सीडेंट से नसों को मज़बूत करता है और रक्त प्रवाह बढ़ाता है।
मात्राः 1–4 ग्राम/दिन।
सावधानीः गर्भवती/स्तनपान ना लें, डाइयूरेटिक दवा के साथ सावधानी।

सिर्फ पेय नहीं, जीवनशैली भी बदलनी ज़रूरी
1. स्वस्थ खान-पान
2. नियमित व्यायाम
3. वजन नियंत्रण
4. धूम्रपान/अधिक शराब से बचें
5. बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें
6. तनाव, खराब नींद कम करें।

पर्यावरण पाठशाला : "पर्यावरण इन्फ्लुएंसर बनें - बदलते भारत की नई पहचान बनें"

डॉ. अंकुर शरण

आज दुनिया बदल रही है, विचार बदल रहे हैं और हमारे आसपास का पर्यावरण भी हमारे व्यवहार के अनुसार बदल रहा है। प्रश्न सिर्फ इतना है — क्या हम बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या दर्शक बनकर बैठेंगे?

भारत 2047 के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, पर इस सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ बनाना होगा। यह तभी संभव है जब हम सभी पर्यावरण इन्फ्लुएंसर बनें — न सोशल मीडिया के लिए, बल्कि अपने आसपास की धरती को मुस्कुराने के लिए।

पर्यावरण इन्फ्लुएंसर कौन?

वह व्यक्ति जो अपने व्यवहार से उदाहरण स्थापित करे,

वह व्यक्ति जो पेड़ को विज्ञापन का स्टैंड न समझे,

वह व्यक्ति जो सड़क पर कचरा न फेंके,

वह व्यक्ति जो पक्षियों के लिए घोंसले लगाए,

और वह व्यक्ति जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा बने।

आपका एक छोटा-सा कदम, आपके आसपास के सौ लोगों को बदल सकता है। यही असली इन्फ्लुएंस है।

अपना अनुभव साझा करें, अपनी पहचान बनाएं

पर्यावरण पाठशाला आप सभी से आग्रह करती है कि आप अपने छोटे-छोटे अनुभव, पहल और प्रयास दुनिया के साथ साझा करें :

आपने अपने मोहल्ले में कचरा फेंकने पर लोगों को समझाया — साझा कीजिए।

आपने रोड सेफ्टी, पक्षी संरक्षण या प्लास्टिक फ्री ड्राइव चलाई — दूसरों को प्रेरित कीजिए।

जब आप सकारात्मक बदलाव की कहानी लिखते हैं, दुनिया उसे पढ़ती है, सीखती है और अपनाती है।

धरती माँ को मुस्कुराने दीजिए

हमने इंसानियत के विकास के नाम पर धरती को बहुत तकलीफ दी है। नदियाँ रोईं, पहाड़ टूटे, जंगल खत्म हुए, पक्षी बेघर हुए और अंत में हमारी ही हवा, पानी, भोजन ज़हरीले होते चले गए।

अब वक्त है कि धरती माँ की मुस्कान वापस लाई जाए।

पर्याप्त नुकसान हो चुका है — अब सुधार का समय है।

एक विनम्र अपील और एक मौन चेतावनी

अपील यह कि –

आज से ही पर्यावरण इन्फ्लुएंसर बनें।

अपनी सोसाइटी, अपने शहर, अपने कार्यस्थल में बदलाव की अगुवाई करें।

चेतावनी यह कि –

अगर हम नहीं बदले,

तो पर्यावरण का संघर्ष और कठोर होगा।

प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है — कभी प्यार से, कभी प्रलय से। इसलिए समय रहते सीखें, समझें और कदम उठाएँ।

"आप बदलेंगे तो संसार बदलेगा;

आप मुस्कुराएँगे तो प्रकृति भी मुस्कुराएगी।"

आइए अपने प्रयासों से धरती माँ की मुस्कान लौटाएँ —

और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर, सुरक्षित, और स्वस्थ भारत बनाएँ।

"हसीन ख़्वाब" : डिन चेक बैंड का जैज़ रंगों से महकता नया गीत रिलीज़

विदेशी धरती पर भारतीय कला ओर संगीत का परचम लहराया

डॉ.शंभू पंवार

नई दिल्ली। डिन चेक बैंड ने हाल ही में अपना नया गीत "हसीन ख़्वाब" रिलीज़ किया। आत्मीय धुनों, जैज़ शैली के सौम्य सुरों और कला–काव्य के अनूठे संगम से सजा यह गीत बैंड की रचनात्मक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

अमेरिका में रहकर भारतीय संगीत का परचम फैलाने वाले डिन चेक बैंड ने इस गीत के माध्यम से अपनी पहचान को और मजबूती दी है। गीत की रचयिता पॉपी चरनालिया लखनऊ की मूल निवासी हैं। दृश्य कलाकार, कवयित्री और गीतकार के रूप में पहचानी जाने वाली पॉपी, अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी भाषा और कला की साधना को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। उनकी वाइब्रेंट पेंटिंग्स इस गीत के वीडियो में विशेष आकर्षण बनकर उभरती हैं, जिन्हें परिधानों के रूप में सभी कलाकारों ने पहना है। यह प्रयोग वीडियो को एक चलती-फिरती कला–गैलरी का रूप प्रदान करता है। इस गीत की संगीत-रचना मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ ने की है। उनकी अनुभवी और भावपूर्ण गायकी गीत को गहराई देती है, वहीं युवा गायिका प्रियांशी की बोल्ड और आधुनिक आवाज़ इसे एक नया, ताज़ा आयाम प्रदान करती है। प्रियांशी गीत की सह-गीतकार भी हैं, और उनके शब्दों में युवापन की सहज संवेदना स्पष्ट दिखाई देती है।

रो रहा संविधान।।

संसद में मचता गदर, है चिंतन की बात।
हँसी उड़े संविधान की, जनता पर आघात।।

भाषा पर संयम नहीं, मर्यादा से दूर।
संविधान को कर रहे, सांसद चकनाचूर।।

दागी संसद में घुसे, करते रोज मखौल।
देश लुटे लुटता रहे, खूब पीटते ढोल।।

जन जीवन बेहाल है, संसद में बस शोर।
हित सौरभ बस सोचते, सांसद अपनी ओर।।

संसद में श्रीमान जब, कलुषित हो परिवेश।
कैसे सौरभ सोचिए, बच पायेगा देश।।

लोकतंत्र अब रो रहा, देख बुरे हालात।
संसद में चलने लगे, थप्पड़, घूसे, लात।।

जनता की आवाज का, जिन्हें नहीं संज्ञान।
प्रजातंत्र का मंत्र है, उन्हें नहीं मतदान।।

हमें आज है सोचना, दूर करे ये कीच।
अपराधी नेता नहीं, पहुंचे संसद बीच।।

अपराधी सब छूटते, तोड़े सभी विधान।
निर्दोषी है जेल में, रो रहा संविधान।।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

ऑस्ट्रेलिया से गूंजी नागरी लिपि की स्वर-ध्वनि

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 8 देशों के विद्वानों ने रखा अपना दृष्टिकोण

डॉ.शंभू पंवार

नई दिल्ली। नागरी लिपि के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित प्रतिनिधि संस्था नागरी लिपि परिषद की दिल्ली की ऑस्ट्रेलिया इकाई द्वारा "प्रवासी परिप्रेक्ष्य में नागरी लिपि का संरक्षण एवं संवर्धन" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया।

संगोष्ठी की अध्यक्षता परिषद के महामंत्री एवं न्यूयॉर्क से प्रकाशित वैश्विक हिंदी पत्रिका सौरभ के प्रधान संपादक डॉ. हरिसिंह पाल ने की। अपने उद्बोधन में डॉ. हरिसिंह पाल ने बताया कि परिषद द्वारा 14 भारतीय और विदेशी भाषाओं की प्रवेशिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित 8.5 लाख शब्दों को व्यवहार में लाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आचार्य विनोबा भावे नागरी लिपि को विश्व-लिपि के रूप में मान्यता दिलाने के पक्षधर थे। संचालन ऑस्ट्रेलिया इकाई की प्रमुख डॉ. सुनीता शर्मा ने किया। इस संगोष्ठी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, मॉरीशस, तंजानिया, रूस, इंडोनेशिया और भारत के विद्वानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत काशी के कवि श्री मोहन द्विवेदी की नागरी लिपि वंदना 'जयति नागरी' से हुई।डॉ. सुनीता शर्मा ने विषय प्रवर्तन करते हुए नागरी लिपि को भारतीय सांस्कृतिक पहचान का आधार बताते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉ. सुभाष शर्मा ने प्रवासी बच्चों में नागरी लिपि के अध्ययन और प्रोत्साहन को अनिवार्य बताया।

सिडनी के भाषा-सेवी श्री हरिहर झा ने कविता के माध्यम से प्रवासी समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया।सिंगापुर की डॉ. स्मिता सिंह और सिडनी की श्रीमती सुषमा मिष्ठा ने घर परिवार एवं समुदाय में हिंदी के उपयोग पर बल दिया। तंजानिया की डॉ. सारिका जेठालिया और मेलबर्न की सुमन जैन ने बच्चों के लिए अभिनव शिक्षण पद्धतियों पर प्रकाश डाला।

सिडनी के प्रगीत कुंवर और डॉ. भावना कुंवर ने अपनी कविताओं के माध्यम से नागरी लिपि के वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। रूस की डॉ. अनूप आर्या ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी-नागरी लिपि के प्रसार की चुनौतियों को साझा किया, जबकि जापान की श्रीमती सुदेश नूर ने गीता के हिंदी अनुवाद के विश्वव्यापी प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया।

तमिलनाडु के विद्वान सेतुरमण अनंत कृष्णन ने परिषद की इस वैश्विक पहल की सराहना की।

काशी विद्यापीठ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. राजमणि ने अनुवाद को नागरी प्रचार का प्रभावी माध्यम बताया।

गाजियाबाद के सुकवि मानसिंह बघेल, दिल्ली की श्रीमती कविता मधुर एवं मुंबई की शिक्षिका लता जोशी ने भी साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से संगोष्ठी को समृद्ध किया।कार्यक्रम में प्रख्यात भाषाविद डॉ. वी.आर. जगन्नाथन सहित अनेक देश-विदेश के विद्वानों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

आईएएस अधिकारी के बच्चे आईएएस नहीं बनना चाहते?

जब प्रशासन बदलता है दिशा—क्यों भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे उसी राह पर कम चलते हैं?

प्रतिष्ठा की चमक के पीछे छिपी कठोर सच्चाइयों और नई पीढ़ी की बदलती आकांक्षाओं का विस्तृत विश्लेषण

भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाज में सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, परंतु इसके भीतर छिपी कठोर वास्तविकताएँ अक्सर परिवारों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। तेज़ स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव, सीमित निजी समय और निरंतर सार्वजनिक अपेक्षाएँ नई पीढ़ी को इस सेवा से दूर करती हैं। साथ ही, बच्चों को उपलब्ध व्यापक शिक्षा और वैश्विक अवसर उन्हें विविध करियर चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे उसी राह पर कम चलते हैं और जीवन–संतुलन तथा रचनात्मक स्वतंत्रता आधारित नए करियर को प्राथमिकता देते हैं।

- डॉ प्रियंका सौरभ

भारत में प्रशासनिक सेवा को लंबे समय से शक्ति, प्रतिष्ठा और राष्ट्र-निर्माण के सर्वोच्च प्रतीकों में गिना जाता रहा है। समाज में आज भी "भारतीय प्रशासनिक सेवा" एक ऐसा नाम है जो सम्मान, अधिकार और सफलता की सम्मिलित छवि बनाता है। किंतु विडंबना यह है कि जिन परिवारों ने इस प्रतिष्ठा को बहुत निकट से देखा है, वही परिवार—विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे—बहुत कम संख्या में उसी पेशे की राह अपनाते हैं। यह प्रश्न केवल सामाजिक जिज्ञासा भर नहीं है; यह प्रशासनिक जीवन की कठोर सच्चाइयों, बदलते समय और नई पीढ़ी की मनोवृत्ति का गहरा संकेत है।

सबसे पहले, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे उस सेवा की वास्तविक कठिनता को प्रतिदिन देखते हैं जिसे बाहरी दुनिया केवल प्रतिष्ठा के आवरण में देखती है। अनिश्चित और तेज़ स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव, जनता की अपेक्षाओं का अंतहीन बोझ, अवकाश का अभाव और निरंतर संघर्ष—इन सभी का प्रभाव परिवार के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। नई पीढ़ी जिसके लिए मानसिक स्वतंत्रता और कार्य–जीवन संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह ऐसी सेवा की ओर आकृष्ट नहीं होती जहाँ व्यक्तिगत समय और निजी जीवन लगभग समाप्त हो जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है—आर्थिक सुरक्षा। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा, उत्कृष्ट वातावरण और व्यापक अवसर प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सरकारी सेवा प्राप्त करने का संघर्ष किसी अनिवार्यता के स्थान पर एक अतिरिक्त बोझ जैसा प्रतीत होने लगता है। संघ लोक सेवा आयोग की कठिन, अनिश्चित और समयसाध्य परीक्षा उनके लिए आवश्यक विकल्प नहीं, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण यात्रा जैसी लगती है। इसलिए उनकी राहें निजी क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान, विधि-विज्ञान या उद्यमिता की ओर अधिक मुड़ जाती हैं—जहाँ आय अधिक है, स्वतंत्रता अधिक है और स्थानांतरण या राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियाँ कम हैं।

तीसरी सच्चाई यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के भीतर की जो प्रशासनिक सीमाएँ हैं—फाइलों का व्यवहार, विवश निर्णय, भ्रष्ट तंत्र का दबाव—वे सब इन परिवारों के बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके माता-पिता कई बार अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय नहीं ले पाते, तो यह उनके भीतर प्रशासनिक सेवा की "शक्ति" को कम प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है। समाज इसे चाहे जितना सम्मानजनक माने, परिवार के भीतर इसका वास्तविक चित्र कई बार निराशाजनक होता है।

चौथा पहलू है—नई पीढ़ी की मूल्य-दृष्टि। आज की युवा पीढ़ी सरकारी पदों की स्थिरता से अधिक वैश्विक अवसरों, रचनात्मक स्वतंत्रता, डिजिटल माध्यमों पर आधारित करियर और नव–उद्यम संस्कृति की ओर आकर्षित है। वे जोखिम उठाने को तैयार हैं, परंतु बंधी-बंधाई व्यवस्था में रहना नहीं चाहते। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी सेवा जहाँ नियम कठोर हैं, प्रक्रिया विस्तृत है और ऊर्जा का बड़ा भाग व्यवस्था को संचालित रखने में व्यतीत होता है—वहाँ उन्हें अपनी क्षमता का पूर्ण विस्तार नहीं दिखाई देता।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपने बच्चों को इस सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। वर्षों की थकान, संघर्ष और भारी दबाव के बाद वे अपने बच्चों के लिए अधिक संतुलित, स्वतंत्र और अपेक्षाकृत शांत जीवन की कल्पना करते हैं। यह माता-पिता की सहज मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, और बच्चों के करियर चयन को गहराई से प्रभावित करती है।

यह पूरा परिदृश्य एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। वह समय अब समाप्त हो रहा है जब भारतीय प्रशासनिक सेवा को करियर का सबसे उत्कृष्ट विकल्प माना जाता था। आज अनेक प्रतिष्ठित और प्रभावी करियर उपलब्ध हैं जिनमें स्वतंत्रता, रचनात्मकता, सम्मान और आय—सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। इस परिवर्तित परिदृश्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आकर्षण को कुछ हद तक कम किया है, विशेष रूप से उन परिवारों में जिन्होंने इसकी चमक के पीछे की कठोर थकान को निकट से महसूस किया है।

फिर भी यह सत्य है कि यह रुझान प्रशासनिक सेवा की महत्ता को कभी समाप्त नहीं करता। भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की प्रशासनिक रीढ़ है और इसमें आने वाले युवा राष्ट्र को दिशा देने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब इस सेवा की राह वही चुनता है जो इसे मन से अपनाना चाहता है—न कि वह जो सामाजिक दबाव या मजबूरी में प्रवेश करता है।

अंततः, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चों का उसी सेवा में न जाना किसी प्रकार की असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि बदलते भारत की सूक्ष्म मानसिकता का परिचायक है—एक ऐसा भारत जहाँ विकल्प अधिक हैं, अपेक्षाएँ नवीन हैं, और करियर का अर्थ केवल प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी है। यह परिवर्तन सकारात्मक है, क्योंकि यह दिखाता है कि नई पीढ़ी उस संसार का स्वप्न देखती है जहाँ पेशा शक्ति से नहीं, बल्कि संतुलन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संतोष से निर्धारित होता है।

संविधान : भारतीय लोकतंत्र की अटूट नींव और भविष्य की रोशनी

तेजी से बदलते समय में संविधान हमें स्थिरता, दिशा और लोकतांत्रिक चेतना प्रदान करता है।
संविधान दिवस केवल एक औपचारिक तिथि नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वास्तव में संविधान की भावना के अनुरूप समाज का निर्माण कर रहे हैं। संविधान हमें अधिकार भी देता है और जिम्मेदारी भी। यही दस्तावेज़ हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की राह दिखाता है। बदलते समय में संविधान भारत की स्थिरता, प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक परंपरा का आधार बना हुआ है।

- डॉ सत्यवान सौरभ

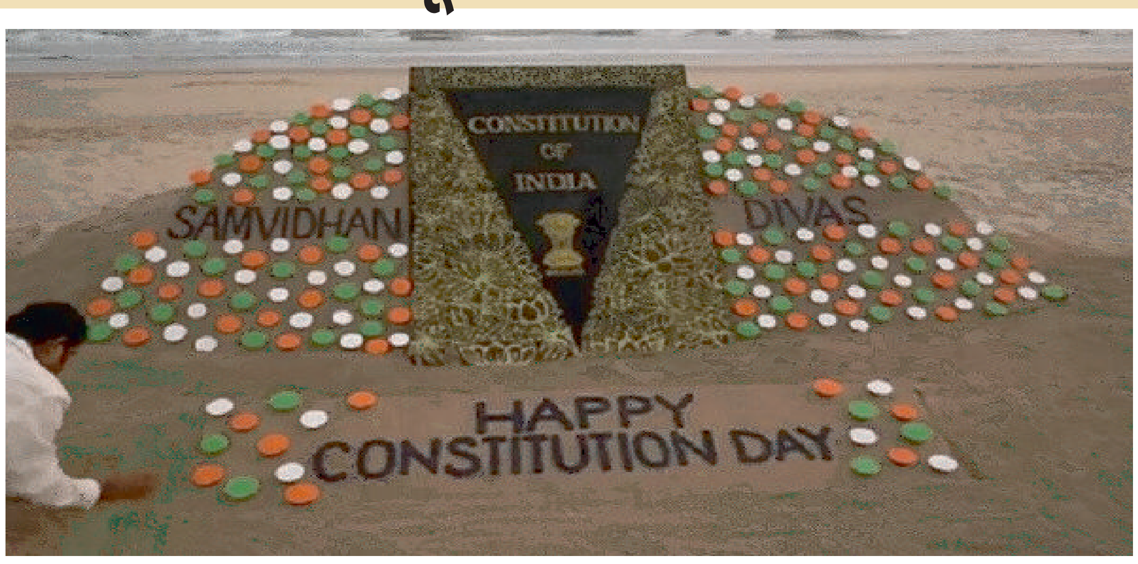

भारत का संविधान केवल कानून का दस्तावेज़ नहीं है; यह वह जीवंत आत्मा है जो इस विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधती है। जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ, तभी भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त किया। आज संविधान दिवस न सिर्फ एक तिथि का उत्सव है, बल्कि यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र की शक्ति नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कर्तव्यों में निहित है।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत, समावेशी और प्रगतिशील संविधान माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह भारत की परंपराओं, विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता को आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिक अधिकार किसी वर्ग, जाति या समुदाय पर निर्भर न रहें। यही वजह है कि संविधान केवल शासन का ढाँचा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा को समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थिर रहेगा, जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होगा। यह विचार आज के भारत में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारा देश बड़े सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रहा है।

इक्कीसवीं सदी का भारत डिजिटल क्रांति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, रोजगार के बदलते स्वरूप, पर्यावरणीय संकट और सामाजिक तनाव जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन नई परिस्थितियों को देखते हुए संविधान का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यही वह आधार है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य को जवाबदेह बनाता है।

संविधान की शक्ति उसकी लचीलापन क्षमता में छिपी है। परिस्थितियों के अनुसार संविधान कैसा व्यवहार करेगा, यह उसकी धारा, भावना और न्यायपालिका के निर्णय तय करते हैं। संविधान में अब तक अनेक संशोधन किए जा चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जड़ दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि समय के साथ स्वयं को बदल लेने वाला जीवंत ग्रंथ है।

लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं, बल्कि नागरिकों की निरंतर सहभागिता, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थाओं की मजबूती और विविध मतों का सम्मान है। लेकिन आज सोशल मीडिया और त्वरित प्रतिक्रियाओं के युग में संवाद की जगह शोर ने ले ली है। विचारधारात्मक विभाजन बढ़ रहा है और जनमत का स्वरूप तेज़, अस्थिर और कई बार भावनात्मक होता जा रहा है। ऐसे समय में संविधान हमें संयम की शिक्षा देता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की राह दिखाता है।

भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षिका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों से नागरिक अधिकारों की रक्षा की है—चाहे वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, निजता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्याख्याएँ। न्यायपालिका ही वह स्तंभ है जो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है और नागरिकों के विश्वास का आधार बनती है।

परंतु आज के समय में संविधान कई नए मोर्चों पर परीक्षा दे रहा है।

तेजी से बढ़ती तकनीक ने निजता और डेटा संरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से यह सवाल उठता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता किस सीमा तक सुरक्षित है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन का खतरा इस बात की ओर संकेत करता है कि पर्यावरण अब केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार से जुड़ा मूलभूत प्रश्न बन चुका है।

सामाजिक ध्रुवीकरण भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। विचारों की बहुलता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति रही है, लेकिन हाल के वर्षों में विचारधारा के आधार पर खेमेबाज़ी बढ़ी है। संवाद कम हुआ है, तर्क कम हुए हैं और आरोप-प्रत्यारोप अधिक हो गए हैं। संविधान ऐसे समय में हमें बंधुत्व की शिक्षा देता है—एक ऐसा भाव जिसमें विचारों का मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मन का वैमनस्य नहीं।

राजनीतिक जीवन में मर्यादाओं का क्षरण भी चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और शुचिता अनिवार्य है। संविधान इसकी आधारशिला रखता है और सभी संवैधानिक पदधारकों से अपेक्षा करता है कि वे जनहित को निजी स्वार्थ से ऊपर रखें।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी लोकतांत्रिक ढाँचे की मजबूती के लिए उतने ही आवश्यक हैं। संविधान नागरिकों को केवल अधिकार नहीं देता; वह उनसे अपेक्षा करता है कि वे संविधान का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएँ, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें तथा समाज में सद्भाव का वातावरण निर्मित करें।

भारत की युवा पीढ़ी के लिए संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यह युवा ऊर्जा अगर संविधानिक मूल्यों से प्रेरित होगी, तो अवसरों का नया युग शुरू हो सकता है। युवाओं को यह समझना होगा कि संविधान केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि उनके सपनों को सुरक्षित रखने वाला दस्तावेज़ है।

संविधान दिवस हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर देता है—क्या हम संविधान की भावना के अनुरूप समाज बना रहे हैं? क्या नागरिक अधिकारों की रक्षा हो रही है? क्या हम विविधता को कमजोरियों के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देख पा रहे हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोकतंत्र की वही मजबूती छोड़ रहे हैं जो हमें विरासत में मिली थी?

भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र है। यह अतीत की विरासत भी है और भविष्य की दिशा भी। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, तकनीक बदलती रहेगी, लेकिन संविधान की प्रासंगिकता कभी कम नहीं होगी। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व किसी एक व्यक्ति या सरकार की देन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक यात्रा है।

जब तक संविधान की आत्मा जीवित है—भारत विश्व की लोकतांत्रिक धड़कनों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा।

भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं गिरिराज गोवर्धन : सन्तश्री प्रेमधन लालनजी महाराज

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। कालीदह क्षेत्र स्थित राधा कृपा आश्रम में लाला सट्टनलाल अग्रवाल परिवार (मुम्बई) के द्वारा ठाकुरश्री ब्रजवल्लभ लाल महाराज एवं सद्गुरुश्री सन्त मां ब्रजदेवी जी के पावन सानिध्य में चल रहे सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पांचवें दिन सन्तश्री प्रेमधन लालनजी महाराज ने व्यासपीठ से देश-विदेश से आए समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को श्रीगिरिराज लीला प्रसंग की कथा श्रवण कराते हुए कहा कि गिरिराज गोवर्धन महाराज साक्षात भगवान श्रीकृष्ण के ही प्रतिरूप हैं।उनमें और श्रीकृष्ण में कोई भेद नहीं है।वस्तुतः भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति का संरक्षण करने के लिए ही गिरिराज पूजा की लीला की थी।जिससे कि लोग प्रकृति के महत्व को जानें और उसकी उपयोगिता का सही से पालन करें।

व्यास पीठाधीन श्रद्धेय सन्तश्री प्रेमधन लालनजी महाराज ने कहा कि ब्रज की पावन भूमि पर त्रिदेव पर्वत रूप में विद्यमान हैं। जो कि बरसाना में ब्रह्मगिरि (ब्रह्मदेव), नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत (महादेव) एवं गोवर्धन में गिरिराज पर्वत (भगवान विष्णु) के स्वरूप हैं।इनकी पूजा व परिक्रमा करने वाले भक्तों के सभी मनोरथ गिरिराज गोवर्धन महाराज निश्चित ही पूर्ण करते हैं।इसीलिए वे सभी ब्रजवासियों के इष्टदेव हैं।

इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की अत्यंत नयनाभिराम और चित्ताकर्षक झांकी के दर्शन कराए गए।साथ ही गिरिराज गोवर्धन को 56 भोग लगा कर उसका प्रसाद वितरित किया गया।

इस अवसर पर प्रख्यात साहित्यकार"यूपी रत्न" डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, राष्ट्रपति पुरुस्कार प्राप्त प्रख्यात रासाचार्य स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा, पण्डित रवि शर्मा (इन्दौर), स्वामी राधाकांत शर्मा (छोटे स्वामी), कृष्णांश शर्मा, मुख्य यजमान अशोक कुमार अग्रवाल (मुम्बई), श्रीमती ऊषा अग्रवाल, अरविन्द कुमार अग्रवाल, श्रीमती भारती अग्रवाल, अरुण कुमार अग्रवाल, श्रीमती कल्पना अग्रवाल, अजय अग्रवाल, आशीष गोयल, सीमा अग्रवाल, ऋतु गोयल, कंचन कृष्ण, साध्वी कुंज दासी, साध्वी प्रिया दासी, साध्वी हरि दासी, गुंजन मेहता, नवीन अग्रवाल, सविता अग्रवाल, अश्विन अग्रवाल व अदिति अग्रवाल (अमेरिका) के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आतंकियों से जुड़े चेहरों को बेनकाब करने के लिए शाहीन को कानपुर लाने की तैयारी

सुनील बाजपेई

कानपुर। दिल्ली विस्फोट के बाद आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को अब कानपुर लाकर भी पूछताछ किए जाने की तैयारी है ,जिसके फलस्वरूप कुछ और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं । शाहीन पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में भी रह चुकी है और उसके यहां अनेक लोगों से संबंध भी है । उसका पूर्व पति भी कानपुर में ही रहता है।

सूत्रों ने बताया कि इसीलिए पूछताछ के लिए शाहीन को लखनऊ और सहारनपुर के साथ ही कानपुर भी लाए जाने की तैयारी है ,जिसके लिए खुफिया भी लगातार सतर्क है। एन आई ए की टीम उससे यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह लखनऊ, कानपुर व सहारनपुर में किन लोगों के संपर्क में थी और डॉ. परवेज को किसने कार खरीद कर दी थी। अवगत करा दें कि दिल्ली विस्फोट मामले में शाहीन की भूमिका अहम है। वह लंबे समय से डाक्टरों को आतंकी नेटवर्क के साथ जोड़ रही थी। इस काम में परवेज उसकी मदद करता था।

एन आई ए ने पूछताछ में अब तक जो जानकारी हासिल की है। उसके मुताबिक शाहीन जिन डॉक्टरों को आतंकी नेटवर्क में शामिल होने के लिए तैयार करती थी। उन्हें दुबई, थाईलैंड व अन्य देशों में ट्रेनिंग दी जाती थी। शाहीन के संपर्क में रहे ज्यादातर लोगों ने विभिन्न प्रकार के बम बनाने की भी ट्रेनिंग ली थी। इसके लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शाहीन के संपर्क वाले डाक्टरों व अन्य आतंकियों की थी। वह खुद भी अगस्त में लखनऊ आई थी। फिलहाल लखनऊ और कानपुर से लेकर सहारनपुर तक के शाहीन के संपर्कों को खंगालने के लिए NIA की टीम उसे विभिन्न स्थानों पर लेकर जाएगी। अभी तक की पूछताछ में शाहीन से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही कुछ आतंकियों से जुड़े और चेहरों के भी बेनकाब होने की संभावना व्यक्त की गई है।

संविधान का अक्षरशः पालन नए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगा: उपेंद्र सिंह

यदि देश संविधान को पूरी निष्ठा के साथ लागू करे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे नए भारत का निर्माण संभव है, जो विकास, न्याय, समानता एकता और मानवता का वैश्विक उदाहरण बने

संविधान दिवस हमें न सिर्फ अधिकारों की याद दिलाता है बल्कि कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा भी देता है।

संविधान देश को संप्रभु, सामाजिक एकता, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जिसमें नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित की गई हैं।

आगरा, संजय साग़र सिंह। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ता उपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि भारत संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करे, तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना न केवल संभव है, बल्कि सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना हमारा सामूहिक लक्ष्य है और यह तभी संभव है जब हम संविधान के आदर्शों को आत्मसात कर उन्हें व्यवहार में उतारें।

उपेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए भारतीय संविधान की शक्तियों, उसके मूल्यों और उसके निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की दूरदृष्टि का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि न्याय, समता, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित हमारा संविधान राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति की मजबूत नींव है। भारत रत्न डॉ. अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक दस्तावेज़ों में से एक है, जो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सम्मान का भरोसा देता है।

उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमें न सिर्फ अधिकारों की याद दिलाता है बल्कि कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा भी देता है। संविधान देश को संप्रभु, सामाजिक एकता, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जिसमें नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित की गई हैं।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़, भविष्य की पीढ़ियों का मार्गदर्शक

अपने संबोधन में उपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि देश संविधान को पूरी निष्ठा के साथ लागू करे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे भारत का निर्माण संभव है, जो विकास, न्याय, समानता और मानवता का वैश्विक उदाहरण बने। उन्होंने संविधान को "एक जीवंत दस्तावेज़, जो हर नागरिक की आकांक्षाओं को दिशा देता है। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए सभी भारतीय नागरिकों से अपने कर्तव्यों का पालन करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2015 में केंद्र सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किए जाने से इस राष्ट्रीय दस्तावेज़ के प्रति सम्मान को नई ऊंचाई मिली है।

गुलामी की मानसिकता का अंत और राष्ट्रवादी सोच की शुरुआत

उपेंद्र सिंह ने संविधान सभा की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाना भारत की स्वतंत्रता यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था। संविधान राष्ट्र की पहचान की आधारशिला है और यह गुलामी की मानसिकता को समाप्त कर राष्ट्रवादी सोच को विकसित करता है।

उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। यह प्रयास देश के राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण में निर्णायक सिद्ध हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की कि महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले नए प्रावधान देश में विकास के नए युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

भारत आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित

उपेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता के त्याग, दृष्टि और समर्पण ने भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। "हमारे संविधान की आत्मा ने सिद्ध कर दिया है कि भारत एक है और सदैव एक रहेगा।" उन्होंने बताया कि चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की परंपरा को और मजबूत करती है।अंत में उन्होंने राष्ट्रवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस डॉ. अंबेडकर जी के उस संघर्ष और संकल्प की याद दिलाता है, जिसने भारत के दबे-कुचले वर्गों को नए अधिकारों और सम्मान की राह दिखाई।

जब तक न्याय, समानता, गरिमा और अधिकार अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते,तब तक संविधान दिवस सिर्फ समारोह है

लेखकः- विजय शंकर नायक,केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच

भारत का संविधान केवल एक कानून-पुस्तक नहीं, बल्कि यह करोड़ों उन लोगों के संघर्ष, आंसुओं और उम्मीदों का लिखित दस्तावेज है जिन्होंने सदियों तक असमानता और बहिष्कार को सहा। संविधान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि यह देश केवल सत्ता और शासन के लिए नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए बना था।

लेकिन सच यह भी है कि संविधान के 76 वर्षों बाद भी भारत का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज अभी तक उन अधिकारों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, जो कागज पर "मूल अधिकार" कहलाते हैं।

इस लेख में उन अनछुए पहलुओं का भी उल्लेख है जो आज तक आम जनता की नज़र से दूर रहे—जिन्हें कभी बताया ही नहीं गया या जिन पर कभी गंभीर चर्चा नहीं हुई।

1. संविधान और हाशिए का समाज : संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी हैं

भारत का संविधान तब लिखा गया जब देश गुलामी से निकला था, लेकिन समाज अभी भी जाति, वर्ण, और आर्थिक असमानता की जंजीरों में जकड़ा था।डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में यह स्पष्ट कहा था:"राजनीतिक समानता तभी अर्थपूर्ण होगी जब सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित हो।"लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीतिक समानता मिली,सामाजिक-आर्थिक समानता अब भी अधूरी है।

2. दलित समाज के अनछुए पहलू — जिन पर अब भी मौन छाया है

(क) 'अस्पृश्यता' केवल सामाजिक नहीं, बल्कि आर्थिक हथियार भी थी

बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि अस्पृश्यता का सबसे बड़ा नुकसान दलितों के आर्थिक अधिकारों पर था।उन्हें खेत रखने नहीं दिए जाते थे।पशु पालने नहीं दिए जाते थे।पानी के स्रोतों पर अधिकार नहीं था।बाज़ार में व्यापार करने नहीं दिया जाता था।यह केवल सामाजिक अपमान नहीं था—यह आर्थिक गुलामी की सुविचारित व्यवस्था थी।(ख) आज भी 60% से अधिक दलित परिवार भूमिहीन है। यह आँकड़ा बताता है कि सदियों की असमानता अभी भी खत्म नहीं हुई।(ग) संविधान की धारा 17 का उल्लंघन आज भी हजारों मामलों में दिखाई देता है। हर साल हजारों मामले "अस्पृश्यता" और "जातिगत हिंसा" के दर्ज होते हैं, लेकिन बहुत कम बातें इसे मुख्यधारा के विमर्श में आती हैं।

3. आदिवासी समाज : भारत का सबसे गलत समझा गया और सबसे धोखा खाया समुदाय

भारत के आदिवासी केवल "जनजाति" नहीं हैं—वे इस भूमि के सबसे प्राचीन निवासी और असली भूमिपुत्र हैं।लेकिन अनछुए पहलू तो यह हैं:(क) आदिवासियों की 90% समस्याओं की जड़ भूमि-अधिकार का हनन है \ जंगल, पहाड़, नदी, जमीन — यह सब आदिवासी जीवन का हिस्सा है। लेकिन विकास के नाम पर उन्हें बार-बार विस्थापित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा, लेकिन कभी न बताया गया सच है कि—स्वतंत्र भारत में अब तक करोड़ों आदिवासी अपनी ही जमीनों से बेघर हुए, लेकिन पुनर्वास और अधिकार आज भी अधूरे हैं।(ख) 'पेसा' और 'वन अधिकार कानून' का वास्तविक लाभ आज भी सीमित कानून है, पर लागू नहीं।हक है, पर मिल नहीं रहा।जंगल उनका था, पर मालिक कोई और बना दिया गया। 4. पिछड़ा वर्ग : संख्या में बहुसंख्यक, अधिकार में पिछड़े भारत का OBC समाज संख्या में सबसे बड़ा है, परंतु— (क) 1931 के बाद से आज तक OBC की वास्तविक जनगणना नहीं हुई यह सबसे बड़ा छुपा हुआ तथ्य है।एक लोकतंत्र में सबसे बड़े समुदाय की सही गणना न होना अपने आप में ऐतिहासिक गलती है।(ख) सरकारी नौकरियों में वास्तविक प्रतिनिधित्व अभी भी अधूरा आरक्षण है, पर लागू सीमित।OBC वर्ग के भीतर भी तीव्र असमानता है—इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। 5. अल्पसंख्यक समाज : सुरक्षा, समान अवसर और भय का अदृश्य बोझ भारत में अल्पसंख्यक नागरिकता से नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार से चिंता महसूस करते हैं।अनकही सच्चाई यह हैः उन्हें शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं।आर्थिक प्रगति में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं।कई जगह सामाजिक दूरी और पहचान को लेकर तनाव मौजूद रहता है। 6. सबसे बड़ा अनछुआ सच : संविधान उन लोगों के लिए लिखा गया जिनकी आवाज़ नहीं थी जब संविधान लिखा गया—दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। लेकिन संविधान ने पहली बार उन्हें बराबरी का दर्जा दिया, अधिकार दिए,और न्याय पाने का रास्ता दिखाया।आज भी यह समाज संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं, क्योंकि—उन्हीं के अधिकार सबसे अधिक खतरे में रहते हैं। 7. आज संविधान दिवस पर सबसे बड़ा प्रश्न क्या भारत ने संविधान की आत्मा को अपनाया है ? यानी—समान अवसर सामाजिक न्याय सम्मानपूर्ण जीवन

बिना भेदभाव के अधिकार यदि नहीं, तो संविधान दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं—

एक चेतावनी है कि हमें अपने संविधान को बचाना है, केवल किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार में। 8. आगे का रास्ता : भारत तभी मजबूत होगा जब अंतिम व्यक्ति मजबूत होगा दलितों को गरिमा और अवसर मिलें आदिवासियों को भूमि और संस्कृति का संरक्षण मिले पिछड़ों को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान मिले यही संविधान की असली विजय होगी।

संविधान दिवस केवल एक तारिख नहीं यह हमें दिखाता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है, और कितना रास्ता अभी बाकी है। जब तक न्याय, समानता, गरिमा और अधिकार अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, संविधान दिवस सिर्फ समारोह है—और संविधान एक अधूरा सपना।

भारतीय कानूनों में परस्पर- विरोधी प्रावधानों की जटिलता -अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

भारतीय कानून में कहीं कोई एक कृत्य प्रतिबंधित है, तो दूसरा कानून उसी कृत्य को अपराध या दायित्व का आधार मान लेता है एक विश्लेषण–**एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र**

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारतीय कानूनी ढांचा बहुस्तरीय बहु- आयामी और बहु-विषयक है।भारतीय विधिक व्यवस्था दुनियाँ की सबसे विस्तृत, जटिल और बहु-स्तरीय प्रणालियों में से एक है। यहां संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाएँ कानून बनाती हैं, न्यायालय इनके अर्थ और दायरे को निर्धारित करते हैं, और विभिन्न नियामक संस्थाएँ इन कानूनों के अनुपालन की निगरानी करती हैं। इस व्यापक ढांचे में एक दिलचस्प और अक्सर विवादास्पद तथ्य यह है कि कई बार विभिन्न कानूनों की अलग-अलग धाराएँ एक ही व्यवहार को लेकर विपरीत स्थिति प्रकट करती हैं। कहीं कोई कृत्य एक कानून में प्रतिबंधित है, तो दूसरा कानून उसी कृत्य को अपराध यादायित्व का आधार मान लेता है। यही विरोधाभासी संरचना न्यायिक बहस, विधिक भ्रम, और कई बार विवादों का कारण बनती है।अक्सर एक नागरिक, एक व्यवसायी या एक संस्था एक ही घटना के परिणाम स्वरूप कई कानूनों के दायरे में एक साथ आ सकती है। इससे कई बार यह भ्रम पैदा होता है कि यदि किसी एक कानून का उल्लंघन हुआ है, तो क्या उसका प्रभाव दूसरे कानून के दायित्वों पर भी पड़ेगा? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह रिसर्च कियाहूँ कि भारतीय कानूनी प्रणाली में ऐसे अनेक उदाहरण है (1) सिविल बनाम क्रिमिनल दायित्वः एक ही घटना, दो मुकदमे उदाहरण- धोखाधड़ी आईपीसी की धारा 420- आपराधिक धोखाधड़ी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872-अनुबंध उल्लंघन-एक ही घटना में पीड़ित, सिविल सूट में हर्जाना ले सकता है, और आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है।यानी एक कृत्य दो कानूनों में अलग पहचान रखता है। (2) घरेलू विवाद-परिवारिक कानून बनाम आपराधिक कानून-धारा 498ए आईपीसी- क्रूरता एक आपराधिक अपराध- हिंदू विवाह अधिनियम,1955- क्रूरता तलाक का आधार-यहां वही व्यवहार एक कानून में अपराध है, दूसरे में वैवाहिक अधिकार समाप्ति का आधार। (3) कंपनी कानून बनाम आपराधिक कानून- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447- धोखाधड़ी पर कारावास आईपीसी की धारा 406/420- आपराधिक विश्वासघात/धोखाधड़ी कंपनी के निदेशक पर एक साथ दोनों लागू हो सकते हैं। इसका मतलब-एक व्यवसायिक विफलता को इस बात पर परखा जाता है कि उद्देश्य भ्रष्ट था या नहीं। (4) पर्यावरण कानून बनाम दंड संहिता- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986'दंड प्रशासनिक /विशेषआईपीसी की धारा 268 (पब्लिक न्यूसेन्स), सार्वजनिक कष्ट अपराध एक ही प्रदूषणकारी कृत्य दो अलग- अलग परिणाम दे सकता है। (5) पीएमएलए बनाम आईपीसी- एक अपराध, दो कानून पीएमएलए (धनशोधन कानून) -अपराध से अर्जित धन की धुलाई, आईपीसी अपराध-मूल अपराध यहां पीएमएलए द्वितीयक अपराध है। मूल अपराध आईपीसी में दर्ज होगा, पर धनशोधन अलग अपराध है-दोहरी जिम्मेदारी।(6)कर कानून बनाम अनुबंध कानून- कई बार अनुबंध वैध होता है, पर उसमें कर चोरी हो सकती है परंतु टैक्स दंड लगेगा, पर अनुबंध जारी रहेगा।(7) इंश्योरेंस कानून बनाम फौजदारी कानून में किसी दुर्घटना में अपराध हुआ हो फिर भी बीमा कंपनी को मुआवजा देना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के दायरे अलग हैं।(8) दिवालियापन संहिता बनाम कंपनी अधिनियम -आईबीसी में देनदारी वसूली प्राथमिक है, जबकि कंपनी अधिनियम प्रशासनिक विनियमन को नियंत्रित करता है।(9) आपराधिक कानून बनाम सिविल कानून-एक ही घटना में व्यक्तिःसिविल क्षतिपूर्ति देने का दायित्व रख सकता हैऔर साथ ही आपराधिक मुकदमे का सामना भी यानें -एक कानून का उल्लंघन दूसरेदायित्व को खत्म नहीं करता।यही प्रश्न विशेष रूप से तब उभरता है, जब इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 269एसएस, जो 20,000 हज़ार से अधिक नकद उधार/ऋण/जमा लेने पर रोक लगाती है, और नेगोटिबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138, जो चेक बाउंस होने परआपराधिक दायित्व बनाती है, एक साथ सामने आएं।क्या यह संभव है कि यदि लेन-देन 20,000 हज़ार से अधिक नकद में हुआ और यह धारा 269एसएस का उल्लंघन था, तो चेक बाउंस के मामले में देनदारी ही समाप्त हो जाए? क्या आरोपी यह तर्क दे सकता है कि लेन-देन अवैध था, इसलिए वह चेक के भुगतान का दायित्व नहीं रखता? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय विधि-व्यवस्था के मूल सिद्धांतों, न्यायालयों के निर्णयों, और अंतरराष्ट्रीय विधि-शास्त्रीय समझ के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक माह पूर्व इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आया है।

साथियों बात अगर हम भारत में कानूनों की संरचना की करें तो, कानूनों की बहु-स्तरीय रचनाः विरोधाभास क्यों उत्पन्न होते हैं?भारत में कानून तीन मुख्य क्षेत्रों में निर्मित होते हैं-(1) संवैधानिक कानून (2) सामान्य/दंड कानून (जैसे आईपीसी, सीआरपीसी),(3) विशेष कानून जैसे आयकर अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंपनियों अधिनियम बैंकिंग विनियमन अधिनियम, एफईएमए, पीएमएलए आदि।जब विभिन्न समयों, उद्देश्यों और परिस्थितियों में बनाए गए कानून समान तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होते हैं, तो इनकी परिभाषाएँ, दंड, प्रक्रियाएँ और दायित्व एक-दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। यही कानूनी विरोधाभास की अनुभूति उत्पन्न करता है।

असल में यह विरोधाभास नहीं बल्कि मल्टी-लेयर ज्यूरीडिकल स्ट्रक्चर है, जहां हर कानून का लक्ष्य अलग है।उदाहरणतः-एक कानून व्यवहार को नियंत्रित करता है, दूसरा उसी व्यवहार में विफलता को दंडित करता है।

साथियों बात अगर हम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसएस व एनआई एक्ट धारा 138 को समझने की करें तो नकद लेन-देन पर रोक का उद्देश्य, यह धारा क्या कहती है?इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 269एसएस कहती है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 हज़ार से अधिक का ऋण, उधार या जमा नकद में नहीं ले सकता।ऐसा करने पर यह एक फिस्कल यानी राजस्व से संबंधित उल्लंघन माना जाता है।इस धारा का उल्लंघन कोई सिविल या क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त नहीं करता, बल्कि केवल आयकर कानून के तहत पेनल्टी (धारा 271डी) को जन्म देता है। अर्थातःयह कर-शास्त्रीय दंड है, न कि लेन-देन को अवैध घोषित करने वाला प्रावधान। धारा 138 एनआई एक्ट-चेक बाउंस पर क्रिमिनल देनदारी-यदि कोई व्यक्ति चेक जारी करता है और वह बाउंस हो जाता है, और उसका भुगतान वैधानिक नोटिस के बाद भी नहीं किया जाता, तोः यह आपराधिक अपराध माना जाता है, सज़ा, जुर्माना और देय राशि का भुगतान कानूनन अनिवार्य हो जाता है।अब मुख्य प्रश्न उठता है क्या 269SS का उल्लंघन 138 की देनदारी को खत्म करता है?भारतीय न्यायालयों ने लगातार कहा है किः (1) 269SS एक टैक्स-लॉ उल्लंघन है, न कि लेन-देन को अवैध बनाने वाला प्रावधान। (2) लेन-देन भले ही नकद हुआ हो, पर ऋण अस्तित्व में बना रहता है। (3) यदि ऋण वास्तविक है और उसके भुगतान हेतु चेक जारी हुआ है, तो चेक बाउंस का दायित्व पूर्ण रूप से लागू होगा। यही स्थितिअंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी साफ झलकती है।अमेरिका -टैक्स उल्लंघन का कॉन्ट्रैक्ट दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं, चेक बाउंस (चेक फ़्रॉड लॉ) अलग अपराध।यूके- कैश ट्रांसक्शन लिमिट्स का उल्लंघन फिसकल ऑफन्स है, पर कमर्शियल लाइबिलिटी रिमेंस इटेक्ट, यूरोपीय संघ- फाइनेंसियल ट्रांसपेरेंसी लॉ नॉट कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेशन।अर्थातःभारत का दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि विरोधाभास नहीं- बहु-उद्देशीय न्याय व्यवस्था, पहली दृष्टि में भारतीय कानूनों की कई धाराएँ एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हैं। लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि, हर कानून समाज के अलग पहलू को नियंत्रित करने के लिएबनाया गया है।इन विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कानूनों के बीच दिखने वाला विरोधाभास वास्तव में विधायी उद्देश्यों की विविधता का परिणाम है न कि संरचनात्मक त्रुटि। हालांकि यह भी सत्य है कि जनता और व्यवसायों के लिए स्पष्टता की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानूनों में समन्वय, भाषा में सरलता और क्रॉस-रेफरेंसिंग प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि नागरिकों को यह समझने में आसानी हो कि किस स्थिति में कौन सा कानून लागू होगा। विधिक जागरूकता, डिजिटल विधिक डेटाबेस और स्पष्ट विधायी मार्गदर्शन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।भारतीय विधिक ढांचा विरोधाभासों का समूह नहीं बल्कि बहु-उद्देशीय न्याय व्यवस्था का विकसित स्वरूप है। प्रत्येक कानून समाज के किसी विशिष्ट हिस्से की रक्षा करता है और यही कारण है कि एक ही घटना पर कई कानून अलग- अलग परिणाम दे सकते हैं।इनविरोधाभासों का समाधान समझ में है, समन्वय में है और इस स्वीकार में है कि न्याय केवल एक आयाम का स्वरूप नहीं बल्कि अनेक धाराओं का संतुलित संगम है। यदि इस संतुलन को सही ढंग से समझा जाए तो परस्पर-विरोध की यह प्रतीत होने वाली संरचना वास्तव में भारतीय न्याय व्यवस्था की परिपक्वता और व्यापकता का प्रमाण बन जाती है।

बीआर गवई देश को क्या संदेश देकर गए हैं : राजेश कुमार पासी

बीआर गवई २३ नवंबर को सीजेआई पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जाते-जाते उन्होंने ऐसे कई संदेश दिये जिन्हें समझने की जरूरत है। अपने कार्यकाल के दौरान उनका केन्द्र सरकार से कई मुद्दों पर टकराव स्पष्ट रूप से दिखा. इसके बावजूद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट दिखाई नहीं दी। जब उनके ऊपर जूता फेंक कर मारा गया तो इस पर देश में काफी बवाल हुआ। दलित संगठनों और उनसे जुड़े लोगों ने इसे दलित सीजेआई का अपमान करना बताया। वास्तव में जूता फेंकना उनका निजी अपमान नहीं था बल्कि वो न्यायपालिका के प्रति गुस्सा था। उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता लेकिन उन्होंने फैसले के दौरान भगवान विष्णु को लेकर जो टिप्पणी की थी, वो बिल्कुल गैर-जरूरी थी। शायद यही सोचकर उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने से मना कर दिया था लेकिन सरकार ने कार्यवाही की। आरोपी के प्रति उनकी दरियादिली यह बताती है कि वो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो आरोपी के आवेश में आकर उठाये गये कदम के लिए उसे सजा देना उचित नहीं समझते थे। वैसे उस घटना से यह भी पता चलता है कि जजों को तथ्यों और तर्कों के आधार पर फैसला देना चाहिए और निजी टिप्पणियों से बचना चाहिए।

इसके अलावा उनका यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के खिलाफ फैसला देना जरूरी नहीं है। जज को यह नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है, उसे संविधान और कानून के अनुसार ही फैसला देना चाहिए। सरकार के खिलाफ फैसला देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता की निशानी नहीं है। वास्तव में हमारे देश में स्वतंत्रता और निष्पक्षता का मतलब ही यही रह गया है कि आप सरकार का विरोध करते रहे। सरकार के पक्ष में बोलना या लिखना पक्षपाती माना जाता है। उनकी बात सिर्फ एक जज पर लागू नहीं होती है बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति पर लागू होती है। मीडिया हो या सामाजिक कार्यकर्ता, उनके लिए यही सही है कि वो देश और समाज के हित में काम करें। वो सच के साथ खड़े रहे. सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना सरासर बेईमानी है।

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में यह चलन हो गया है कि जो सरकार के पक्ष की बात करे, वो गोदी मीडिया है या अंधभक्त है। वही मीडिया सही है जो सरकार की हर बात का विरोध करे, बेशक इस चक्कर में देश, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। वास्तव में आजादी के 78 साल बाद भी हमारी मानसिक गुलामी खत्म नहीं हुई है। जैसे अंग्रेजों का विरोध करना ही देशप्रेम और समाजसेवा माना जाता था, वैसे ही आज भी सरकार का विरोध करने वाला खुद को लोकतंत्र और संविधान का रक्षक मानता है। अगर सरकार संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ रही हो तो ऐसे लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। गवई का इशारा इस ओर ही है कि सरकार के पक्ष में फैसला देना पक्षपात करना या सरकार से डरना नहीं है। जज को सिर्फ तर्कों और तथ्यों के आधार पर फैसला देना चाहिए। संसद और विधानसभा द्वारा पास बिलों को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लंबित रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया था, उसे उनकी संवैधानिक पीठ ने पलट दिया। देखा जाए तो उन्होंने जाते-जाते संविधान की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी। दो जजों की पीठ ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को रोकने के मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन करने की एक निश्चित अवधि तय कर दी थी जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान नहीं लिख सकता, इसलिए पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। सरकार ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिस पर विचार करते हुए संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। देखा जाए तो ऐसे हालातों से जजों को बचना चाहिए। गवई कई बार कह चुके हैं कि संसद और सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे रहे हैं जो कि संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत थे। सुप्रीम कोर्ट वहां अपनी राय बता सकता है, जहां संविधान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसे व्याख्या देने का अधिकार है। जब संविधान में स्पष्टता से कोई प्रावधान है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। इससे दोनों संस्थाओं में टकराव होता है। गवई ने कहा कि न्यायिक आतंक नहीं होना चाहिए, उनका इशारा इसी ओर है। सुप्रीम कोर्ट को उनकी इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि इससे दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी और टकराव नहीं होगा।

अपने विदाई समारोह में गवई ने अपने २०२४ के उस फैसले का बचाव किया जिसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों पर क्रीमीलेयर का नियम लागू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले की वजह से उनके ही समुदाय में उनकी जबरदस्त आलोचना हुई। उनका कहना है कि वो अब आगे न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, इसलिए इस फैसले पर चर्चा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक जज से अपने फैसले का बचाव करने की उम्मीद नहीं की जाती लेकिन वो अपनी बात रखना चाहते हैं। वास्तव में वो अकेले नहीं है. हर वो व्यक्ति जो अपने समाज में सुधार करना चाहता है, उसे अपने ही समाज की आलोचना झेलनी पड़ती है। वास्तव में दलित समाज का मुखर वर्ग ही आरक्षण का लाभ ले रहा है. वो क्रीमीलेयर को किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति में लागू नहीं होने देना चाहता। उसका कहना है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ये गरीबी दूर करने का अधिकार नहीं है।

सवाल यह है कि जो वर्ग आगे बढ़ गया है, वो बिना आरक्षण के प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हासिल करता। राजनीति में आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए हो सकता है लेकिन शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण को प्रतिनिधित्व कैसे माना जा सकता है। मैंने अपने जीवन में सरकारी नौकरी वालों को समाज के लिए कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। एक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण करता है, वो समाजसेवक नहीं होता। गवई ने अपने भाषण में कहा कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि क्या दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज, सेंट स्टीफंस में पढ़ने वाले मुख्य सचिव के बेटे को ग्राम पंचायत या जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले खेतिहर मजदूर के बेटे के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है लेकिन समानता का मतलब यह नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ अंबेडकर ने कहा था कि अगर हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो असमानता बढ़ेगी। इसलिए जो पीछे हैं, उनके साथ विशेष बर्ताव करने की जरूरत है। देखा जाए तो बाबा साहब ने आरक्षण इसी आधार पर मांगा था कि हम लोग इतने पीछे रह गए हैं कि अगर हमारे साथ समानता का व्यवहार हुआ तो वो भी एक असमानता होगी। इसलिए दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का अधिकार मिला। अब अपना ही समाज असमानता का पक्षधर हो गया है, इसलिए उनका विरोध हुआ है।

इसी विचार के आधार पर एससी-एसटी समाज में उपवर्गीकरण लागू करने की सिफारिश की गई थी। इसका भी दलित समाज में जबरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। वास्तव में इसके लिए अनुसूचित जातियों ने ही अपनी मांग रखी है। इसके विरोध की वजह यह है कि दलित संगठनों और राजनीतिक दलों में ताकतवर जातियों का प्रभुत्व है। सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम जातियों का राजनीतिक और सामाजिक संगठनों पर कब्जा है और यही वो जातियां हैं, जो दलित समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। समानता का सिद्धांत कहता है कि जो जातियां आगे बढ़ गई हैं, उन्हें ही सोचना होगा कि वो ही अगर सारा फायदा लेती रहेंगी तो दूसरी जातियों को कैसे मौका मिलेगा। जैसे क्रीमीलेयर से सम्पन्न दलितों को आरक्षण से बाहर आना है, वैसे ही उपवर्गीकरण से सम्पन्न जातियों को आरक्षण से बाहर आना होगा। सवर्ण समाज ने जैसे शोषण किया है, वैसे ही दूसरी जातियों को नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं कि क्या आदिवासी इलाके में रहने वाले एससी वर्ग के किसी बच्चे को जिसके पास हायर एजुकेशन के लिए कोई साधन नहीं है, मेरे बेटे से मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जो अपने पिता के पद और पिता की उपलब्धियों की वजह से सबसे अच्छी स्कूली शिक्षा पा रहा है। क्या यह सही मायने में बराबरी होगी या यह गैर-बराबरी को बढ़ावा देगी। उनका कहना है कि हर समय मुझे यह बात परेशान करती है कि मुझे सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है तो मुझे एससी समुदाय का फायदा क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात राजनेताओं को क्यों समझ नहीं आती है। उन्होंने जो सवाल उठाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सरकार और समाज को समझने की जरूरत है। दलित समाज से होते हुए भी न्यायपालिका में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले गवई की बातों को अनदेखा करना सही नहीं है। उन्होंने जो भी कहा है, वो देशहित और समाज हित में ही कहा है क्योंकि वो कोई नया पद नहीं लेना चाहते।

एक कवि, एक मधुशाला, और पूरी सदी पर छाया हुआ नशा

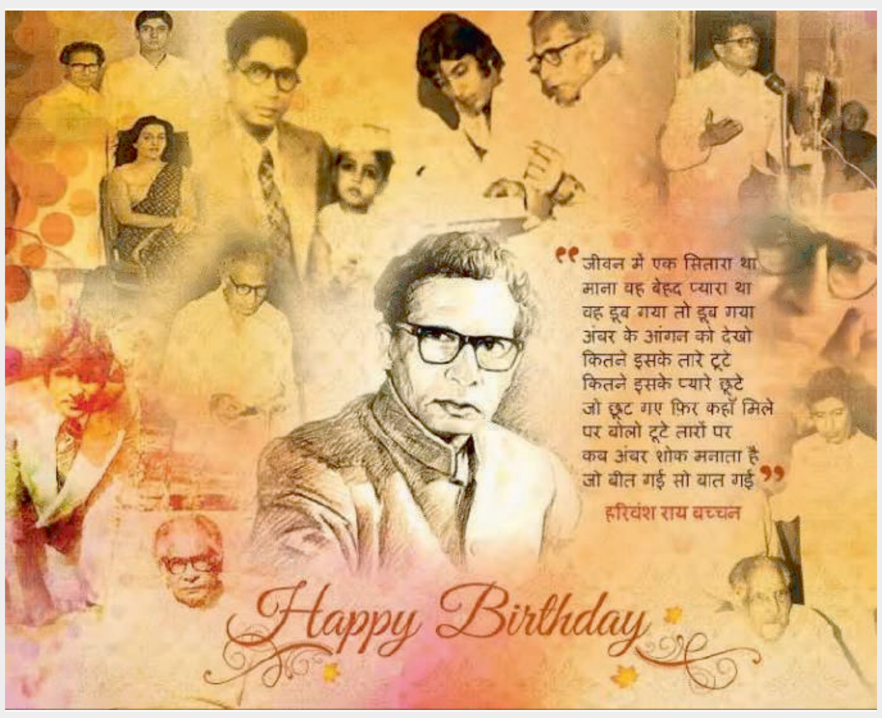

27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गाँव में, एक साधारण से कायस्थ परिवार में जन्मे नवजात की आहट किसी को नहीं बताती थी कि यह बच्चा आगे चलकर हिंदी साहित्य की तकदीर बदल देगा। परिवार ने नाम दिया—हरिवंश राय। पर समय ने उसके चारों ओर एक और पहचान बुन दी—बच्चन, और यही बच्चन आगे चलकर उन कविताओं का जनक बना, जिनमें पहली बार शब्द शराब की तरह चढ़े, जिनमें पहली बार धुएँ की लकीरें भी जीवन-दर्शन बनकर उभरीं, और जिसने निडर होकर कहा—जीवन एक मधुशाला है; जो जीना चाहता है, वह पहले पीना सीखे।

परंपरागत पृष्ठभूमि से निकलकर भी बच्चन परंपरा के बंद दरवाज़ों में कैद नहीं हुए। उन्होंने शिक्षा को विद्या नहीं, दिशा बनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं समझा—उन्होंने अपने भीतर सोई साहित्यिक चेतना को जगाया, उसे पंख दिए, उसे उड़ान दी। उनकी यात्रा किताबों के अध्यायों तक सीमित नहीं थी; वह एक ऐसी भाव-यात्रा थी जो संवेदनाओं के अंधेरों से गुज़रती हुई आत्मानुभूति के उजालों तक पहुँचती है, जहाँ शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते—जिये जाते हैं।

मधुशाला के बिना हरिवंश राय बच्चन की छवि ऐसे लगती है, जैसे किसी मंदिर में दीपक न जले—अधूरी, अपूर्ण, और अपने उजाले की प्रतीक्षा करती हुई। 1935 में जब "मधुशाला" छपी, तो पूरा हिंदी जगत स्तब्ध रह गया। एक तरफ़ छायावाद के कवि फूलों-पत्तियों में प्रेम ढूँढ रहे थे, दूसरी तरफ़ एक 28 साल का नौजवान शराब, प्याला, साकी और हाला को प्रतीक बनाकर जीवन का पूरा दर्शन सुना गया। उसने लिखा – "मृत्यु न आती यदि जीवन में, जीवन होता न इतना सुहाना।" यह पंक्ति कोई दार्शनिक की नहीं थी, यह उस युवक की थी जिसने जीवन को गिलास की आख़िरी बूंद तक चखने का फ़ैसला कर लिया था। मधुशाला कोई शराब की प्रशंसा नहीं थी, वह जीवन के अनगढ़, अनावृत, निडर सौंदर्य का उत्सव थी – नग्न, बेलौस, बेख़ौफ़।

बच्चन की कविता में जो बात सबसे ज़्यादा चुभती थी, वह उसकी निर्मम ईमानदारी थी। वह कभी ढोंग नहीं करते थे। प्रेम लिखा तो ऐसा कि लगे अभी कोई आशिक़ सिगरेट का कश लेकर आह भर रहा हो – "रात आधी खींचकर मेरा आँचल..."। दर्द लिखा तो ऐसा कि जैसे कोई अपना सीना चीरकर दिखा रहा हो। और संघर्ष लिखा तो "अग्निपथ" लिखा – वह कविता जो आज भी हर उस लड़के की रगों में दौड़ती है जो रात-रात भर पढ़कर सुबह असफल होता है, फिर भी उठता है। "तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी..." – यह किसी मंच पर खड़े, तालियाँ बटोरते प्रेरक वक्ता की आवाज़ नहीं थी। यह एक पिता था, जो अपने बेटे की हथेली में जीवन का सबसे कठोर, सबसे कीमती शस्त्र रख रहा था। और उस बेटे का नाम था—अमिताभ बच्चन।

उन्होंने जीवन को कभी दो रंगों में नहीं बाँटा। उनके लिए जीवन न उजला था, न काला—बल्कि वह तीखी, झकझोर देने वाली धूसर रोशनी था, जहाँ हर अनुभव अपने पूरे ताप के साथ जलता है। श्यामा की मृत्यु ने उनके भीतर ऐसी दरार डाली, जो किसी को भी जीवनभर के लिए बिखरा देती—लेकिन बच्चन टूटे नहीं; उन्होंने उस टूटन को ही अपनी कविता का नया आधार बना दिया। जब तेजी सूरी से प्रेम हुआ तो प्रेम की औपचारिकताओं में नहीं बँधे। वर्षों साथ रहे—बिना परिभाषाओं, बिना सामाजिक मुहर के, और विवाह के बाद भी वही अपरिवर्तित दीवानगी, वही अनकही निकटता उनके बीच जलती रही। उनके घर की हवा में कविता पढ़कर नहीं, जीकर बसती थी। रसोई में उबलती चाय के साथ तेजी अपनी धुनें घोलतीं, और बालकनी में बच्चन साहब सिगरेट के धुएँ में ऐसे छल्ले बनाते जिनमें धीरे-धीरे नई रुबाइयों के चेहरे उभर आते—मानो जीवन खुद उनके शब्दों का शिष्य हो।

बच्चन ने हिंदी को वह आवाज़ दी जो आज तक कोई दूसरा कवि नहीं दे पाया – युवा मन की बेक़ाबू, अनगढ़, तेज़तर्रार आवाज़। जब साहित्य सभ्यता, संस्कार और मर्यादा की चमक-दमक में सिमट रहा था, तब बच्चन ने कहा — "हाँ, मैं नशे में हूँ, प्रेम में हूँ, जीवन में हूँ—और यह मेरा अभिमान है, अपराध नहीं।" उनकी हर पंक्ति में एक विद्रोह था, एक बग़ावत थी, पर इतनी सौंदर्यपूर्ण, इतनी सम्मोहित करने वाली, कि विद्रोह का ताप नहीं, उसका आकर्षण महसूस होता था। वह शराब के प्रतीकों में जीवन का सार घोलते थे, जबकि स्वयं मदिरा से कोसों दूर थे। प्रेम पर ऐसी पंक्तियाँ रचते जो दिलों में भूचाल ला दें, पर स्वयं प्रेम में पागलपन की सीमा कभी न लाँघते। और जीवन? जीवन के बारे में उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं—उसे ऐसे जिया जैसे हर दिन अंतिम हो, और हर अंतिम दिन एक नया आरंभ।

आज उनकी 118वीं जयंती है, और यह आश्चर्य नहीं—मधुशाला अब भी खुली है, अब भी बह रही है, अब भी जीवित है। कहीं कोई लड़का अपनी प्रेमिका को व्हाट्सऐप पर "जो बीत गई सो बात गई" भेजकर टूटे दिल को सांत्वना दे रहा है। किसी जिम में कोई नौजवान "अग्निपथ ! अग्निपथ !" की गूँज के साथ डंबल उठा रहा है। किसी बार में एक बुज़ुर्ग अकेला गिलास घुमाते हुए धीमे से गुनगुना रहा है—"मुसाफ़िर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना..."। और किसी अस्पताल के आईसीयू में कोई आख़िरी साँस लेते हुए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे याद आ रही है बच्चन की वह निर्भीक, अनश्वर पंक्ति – "मरना तो है ही एक दिन, फिर क्यों न आज मर जाएँ हम मधुशाला में।"

हरिवंश राय बच्चन देह छोड़कर चले गए, पर उनकी कविता कहीं नहीं गई। वह अब भी हमारी नसों में दौड़ती है, हमारे साहस में उभरती है, हमारे प्रेम में पिघलती है, और हमारे संघर्ष में तलवार बनकर चमकती है। वह आज भी जीवित हैं—हर उस प्याले में जिसे कोई उठा कर जीवन को चुनौती देता है; हर उस रास्ते पर जिसे कोई अपनी आग से अग्निपथ बना लेता है; हर उस आँख में जो आँसू निगलकर भी मुस्कुराने का हौसला पाती है। क्योंकि बच्चन ने यह सिद्ध कर दिया था—असली कविता मरती नहीं; वह बस प्याले बदलती है, पर नशा वही रखती है। और मधुशाला? वह तो अभी भी खुली है, अब भी बुला रही है। चलो... एक प्याला हो ही जाए।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

राम ध्वज के नीचे जन्म लेता नया भारत

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

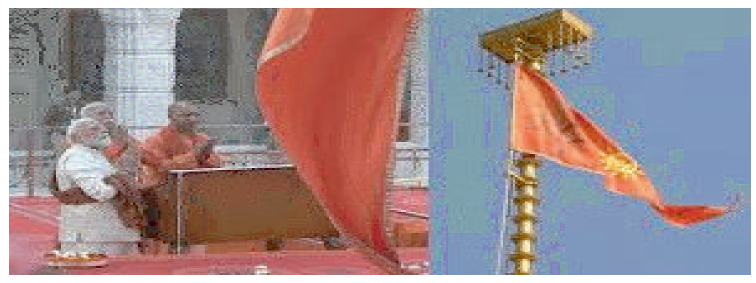

अयोध्या की सुबह, सरयू की लहरों के साथ जैसे राम की वापसी का गान गा रही थी। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी, और वहां खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी— साधारण वेश में, लेकिन आंखों में अटूट संकल्प लिए। हाथों में 22 फुट ऊंचा 'धर्म ध्वज', भगवा रंग (सूर्य, 'ओम' और कोविदार वृक्ष का प्रतीक) में लिपटा, जैसे राम के न्याय, त्याग और सत्य का प्रतीक है। जैसे ही ध्वज हवा में लहराया, लाखों दिल धड़क उठे। यह क्षण केवल एक उत्सव नहीं था; यह था गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का बिगुल।

मोदी जी की आवाज, शांत लेकिन गरजती हुई, बोलीः ₹सदियों पुराने घाव अब भर रहे हैं।₹ और फिर वह ऐतिहासिक वादा—अगले दस वर्षों में भारत को 'गुलामी की मानसिकता' से पूरी तरह आजाद करना। यह रोडमैप कोई कागजी योजना नहीं, बल्कि एक जीवंत क्रांति है, जो हर भारतीय को राम की तरह संघर्षशील बनाएगी, अपनी जड़ों से जुड़ाएगी। अयोध्या, जहां राम मंदिर अब खड़ा है, वहां 45 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं—यह संख्या नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो बताता है कि राम सिर्फ मंदिर में नहीं, हर दिल में बसते हैं।

गुलामी की मानसिकता—यह क्या है? वह अदृश्य जहर जो 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने बोया, शिक्षा के नाम पर हमें अपनी संस्कृति से दूर करना, हमें पश्चिमी सोच का गुलाम बनाना। आज भी वह जहर हमारे विचारों में बहता हैः अपनी भाषा को कमतर समझना, पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, राम को सिर्फ कहानी मानना। मोदी जी ने इसे सीधे चुनौती दी—₹हमारी आजादी अधूरी है, क्योंकि मन अभी गुलाम है।₹ दस वर्षों का यह रोडमैप इसी जहर को निकालने का है।

पहला पड़ावः सांस्कृतिक जागरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैकॉले की छाया से मुक्त करना, स्कूलों में रामायण को जीवंत बनाना। जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ें, बल्कि राम के गुणों—धैर्य, दया, नेतृत्व—को जीएं। जैसे राम ने वनवास में भी संकल्प नहीं छोड़ा, वैसे ही हर बच्चा अपनी जड़ों से मजबूत बने। यह होगा राष्ट्र का नया निर्माण, जहां भारत अपनी विरासत पर गर्व करे, न कि किसी विदेशी सोच पर। मोदी जी ने कहा, ₹राम व्यक्ति नहीं, मूल्य हैं—जो हमें दिशा देते हैं।₹ और यह मूल्य अब भारत की अर्थव्यवस्था में भी दिखेंगेः आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जल्द तीसरी बनेंगे। लेकिन असली जीत तब होगी जब हम आर्थिक स्वावलंबन को राम के स्वदेशी से जोड़ें।

यह रोडमैप सरल है, लेकिन अप्रतिम—क्योंकि यह राम राज्य के सपने पर टिका है। राम राज्य में क्या था? न्याय की धारा हर घर तक, पर्यावरण का सम्मान जहां जटायु और गिलहरी भी योगदान दें, समाज जहां कोई भेदभाव न हो। मोदी जी ने अयोध्या को इसी का प्रतीक बताया—₹यहां का सामूहिक प्रयास विकसित भारत 2047 का रोडमैप है।₹ दस वर्षों में, हमें 'मेक इन इंडिया' को राम की उद्यमिता से सशक्त करना है। युवाओं को स्टार्टअप्स में राम सेतु जैसा पुल बनाना सिखाना—छोटे प्रयासों से बड़ा लक्ष्य।

अयोध्या, अब हजारों तीर्थों का मॉडल बनेगी। पर्यटन से अर्थव्यवस्था बूम करेगी, लेकिन साथ में सांस्कृतिक दूतावास भी। युवाओं की भूमिका यहां सबसे दमदार है। आज की पीढ़ी, जो सोशल मीडिया पर खोई है, उसे राम की कहानी से जोड़ना। मोदी जी का आह्वान—₹युवा उठो, राम के धनुष को उठाओ।₹ दस वर्षों का दूसरा चरणः युवा सशक्तिकरण। सोशल मीडिया पर राम कथा वायरल करना, एनजीओ से ग्रामीण भारत में राम मेलों का आयोजन। जैसे राम ने लक्ष्मण और हनुमान के साथ टीम बनाई, वैसे ही युवा एकजुट हों। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं—व्यावहारिक कदम, जैसे डिजिटल रामायण ऐप्स, जहां युवा राम के संघर्ष से प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी में लागू करें।

अनुपम बात यह है कि यह रोडमैप समावेशी है। राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं—दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबका साथ। मोदी जी ने कहा, ₹राम के कण-कण में भारत, भारत के कण-कण में राम।₹ दस वर्षों का तीसरा चरणः सामाजिक सद्भाव। जाति की दीवारें राम नाम से तोड़ना, त्योहारों को साझा बनाना। कल्पना कीजिए, एक भारत जहां त्योहार राम की तरह साझा हों, जहां गिलहरी जैसा छोटा योगदान भी बड़ा बने।

लेकिन चुनौतियां हैं—विपक्ष की आलोचना, सेकुलरिज्म के नाम पर सांस्कृतिक अस्मिता को दबाना। मोदी जी का जवाब साफ—₹संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास।₹ यह दस वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेंगे, जब आजादी के सौ साल पूरे होंगे। तब भारत न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि विश्व गुरु भी—राम के आदर्शों से। अयोध्या का यह ध्वजारोहण 500 साल पुराने संकल्प की पूर्ति है, लेकिन नई शुरुआत भी। सदियों पुराने घाव भर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर अब सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि एकता का प्रतीक है।

सरल शब्दों में कहें तो यह वादा हर भारतीय का है। मोदी जी की वाणी जैसे राम की वाणी—शांत, लेकिन अटूट। ₹हमारी विरासत पर गर्व करो, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाओ।₹ युवाओं, सुनो—यह तुम्हारा समय है। राम के जैसे संघर्ष करो, लक्ष्य पर नजर रखो। दस वर्षों में, हम मैकॉले की किताबों को रामायण से बदल देंगे। पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक न्याय तक, सब राम राज्य से प्रेरित। अयोध्या की सरयू आज गवाह है—राम लौट आए हैं, और उनके साथ एक नया भारत जाग रहा है। यह यात्रा शुरू हो चुकी, अब रुकना नहीं। राम के नाम पर, भारत के नाम पर—जय सिया राम!

अंगदान के प्रति सामाजिक धारणाओं को बदलने की जरूरत है (27 नवंबर राष्ट्रीय अंगदान दिवस विशेष आलेख)

प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को 'राष्ट्रीय अंगदान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। दरअसल, यह दिवस अंगदान के महत्व को समझाने, समाज तथा देश में अंग-दान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि अंगदान से समाज में मानवता, सहानुभूति और सेवा भाव को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, यहां यह गौरतलब है कि प्रारंभ में (वर्ष 2010 से) भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन भारत के पहले सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण के उपलक्ष्य में वर्ष 2023 में इसे 3 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रत्यारोपण वर्ष 1994 में हुआ था। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, तथा वर्ष 2025 के लिये इसकी थीम 'आह्वान का उत्तर देना' रखी गई थी, जैसा कि इसे अंगदान और प्रत्यारोपण गठबंधन द्वारा निर्धारित किया गया है। अंगदान के बारे में बहुत-से लोग यह मानते हैं कि केवल हृदय, किडनी या लीवर ही दान किए जा सकते हैं, जबकि वास्तव में अंगों के साथ-साथ त्वचा, हड्डियाँ, नसें, कॉर्निया, हृदय वाल्व और यहां तक कि हाथ या चेहरा जैसे विशेष अंग भी दान किए जा सकते हैं।यानी एक व्यक्ति अपने दान से कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। सच तो यह है कि अंगदान एक ऐसा मानवीय कार्य है, जिसमें किसी व्यक्ति के देहांत के बाद या जीवित रहते हुए (जैसे किडनी, लिवर का हिस्सा) दूसरे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। पाठकों को बताता चलूं कि नेत्र (कॉर्निया), हृदय वाल्व, हड्डी, त्वचा आदि को प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात् दान किया जा सकता है; तथा हृदय, यकृत, किडनी, फेफड़े, अग्न्याशय आदि केवल ब्रेन डेड के मामले में ही दान किए जा सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) भारत में अंगदान व प्रत्यारोपण की केंद्रीय संस्था है तथा इच्छुक व्यक्ति अंगदान कार्ड भरकर या ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। मृत्यु के बाद परिजनों की अनुमति आवश्यक होती है, इसलिए परिवार को पहले से जानकारी देना जरूरी है।एनओटीटीओ के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग अंग विफलता के कारण मर जाते हैं, लेकिन अंगदान की दर अभी भी बहुत कम है; लगभग 0.86 प्रति मिलियन जनसंख्या। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक दाता अपने जीवन से जाते-जाते 8 लोगों की जान बचा सकता है और लगभग 50 लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है, यह तथ्य अभी भी अधिकांश लोग नहीं जानते। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत में ब्रेन-डेथ की वैज्ञानिक व कानूनी मान्यता है, पर इसके बारे में जागरूकता कम होने से देश में संभावित दाताओं की संख्या बहुत घट जाती है। आज भारत ही नहीं दुनियाभर में बहुत से लोगों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है और यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग (यूएनओएस) के अनुसार, दुनिया भर में 1,03,993 से अधिक लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल लाखों लोग अंग विफलता के कारण समय से पहले मर जाते हैं, जबकि अंगदान से उनकी जान बच सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला सफल अंग प्रत्यारोपण वर्ष 1954 में हुआ, जब रोनाल्ड ली हेरिक ने अपने जुड़वाँ भाई को किडनी दान की तथा अग्रणी शल्य-चिकित्सक डॉ. जोसेफ मरे को अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिये वर्ष 1990 में फिज़ियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। हाल फिलहाल, अंगदान की खास बात यह है कि अंगदान में धर्म-जाति की कोई बाधा नहीं होती।दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्म इसे मानव सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा, दान किए गए अंग किस मरीज को मिलेंगे, यह पूरी तरह मेडिकल आवश्यकता और प्रतीक्षा सूची के मानकों पर तय होता है; इसमें न रिश्तेदारी का दबाव चलता है, न किसी तरह का भेदभाव। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अंगदान सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जिसे सही जानकारी मिलने पर और अधिक लोग अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण से जुड़े नियम और प्रयास पिछले दो दशकों में काफी मजबूत हुए हैं।अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार, अस्पतालों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एनजीओ आदि ने मिलकर इस दिन को विशेष अभियान के रूप में शुरू किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में परोपकार केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका माना गया है। यहाँ 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना सिखाती है कि समस्त संसार एक परिवार है और दूसरों की सहायता करना हमारे स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। कहना ग़लत नहीं होगा कि अंगदान एक तरह से सर्वोच्च परोपकार है, जिसमें मनुष्य अपने जाने के बाद भी किसी का जीवन बचा सकता है।यह निःस्वार्थ दान इंसानियत की सबसे उजली मिसाल बनकर दूसरों को नई उम्मीद देता है।अंगदान हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है, जो किसी और की सांसों में बसकर भी चलता रहे।दूसरों के लिए जीना, फिर चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद हो, किसी दुखी को सहारा देना हो, या समाज के लिए निस्वार्थ कार्य करना हो, सदा से भारतीय जीवन मूल्यों का केंद्र रहा है। उपनिषदों से लेकर महाकाव्यों तक, हर जगह दान, सेवा, करुणा और सहअस्तित्व को सर्वोच्च गुण बताया गया है।

यही परोपकार की भावना समाज को जोड़ती है, मनुष्य को संवेदनशील बनाती है और बताती है कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं।यह दिवस (अंगदान दिवस) समाज में यह संदेश देता है कि जीवन सिर्फ जिया ही नहीं जाता, दूसरों के लिए भी छोड़ा जा सकता है। आज भले ही हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं लेकिन आज भी जरूरत इस बात की है कि हम लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता और सकारात्मक सोच को बढ़ाएं, उनमें व्याप्त मिथकों, डर और गलत धारणाओं को दूर करें। अंगदान पंजीकरण को सरल और लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करें। आज जरूरत इस बात की भी है कि हम अस्पतालों और विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में अंगदान प्रक्रिया को मजबूत करें।सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम हमारे युवाओं और विभिन्न समुदायों को मानव सेवा के इस अभियान से जोड़ें। बहरहाल, हर साल इस दिवस के लिए एक थीम या विषय निर्धारित किया जाता है।इसी क्रम में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 2024 में 'अंगदान जन-जागरूकता अभियान' थीम के साथ मनाया गया।इस थीम का उद्देश्य लोगों के बीच अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करना था, ताकि अंग दान, मस्तिष्क-मृत्यु, ऊतक दान आदि से जुड़ी भ्रांतियाँ दूर हों और अधिक लोग जीवन दान के लिए आगे आएँ। इस पहल द्वारा समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अंगदान केवल किसी की मौत नहीं, बल्कि दूसरों के लिए नई जिंदगी देने का अवसर है।वहीं 2025 में यह दिवस 'अंगदानः एक जीवन संजीवनी अभियान' थीम के अंतर्गत आया है। इस थीम के माध्यम से सरकार और स्वास्थ्य संगठन इस नेक काम को और व्यवस्थित, व्यापक और देशव्यापी स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है-अंग दान को सामान्य, स्वीकार्य और सामुदायिक मूल्य बनाना, ताकि जितने लोग अंग-दान के लिए तत्पर हों, वे आगे आएँ और जिनको अंग की ज़रूरत हो, उन्हें जीवनदान मिल सके। बहरहाल, भारत में कानूनी पहलू की बात करें तो भारत में ट्रांसप्लांटेशन आफ ह्यूमन आर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट-1994 (टीएच ओटीए) के तहत अंगदान व प्रत्यारोपण को विनियमित किया जाता है। यह कानून अवैध अंग व्यापार को रोकता है और केवल कानूनी, स्वैच्छिक दान को मान्यता देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत आता है तथा इसका राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंगों एवं ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण के लिये खरीद, वितरण और पंजीकरण हेतु अखिल भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।अंत में यही कहूंगा कि आज हमारे देश में अंग-दान को लेकर अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। मसलन, अभी भी बहुत से लोग अंगदान को लेकर डर और भ्रम में रहते हैं।हमारे यहां आज भी अंगदान को लेकर धार्मिक और सामाजिक गलतफहमियाँ हैं।हमारे यहां आज भी पर्याप्त अस्पताल व आइसीयू सुविधाओं की कमी है, जहाँ 'ब्रेन डेथ' प्रमाणित की जा सके। इतना ही नहीं, हमारे यहां परिवार का भावनात्मक दबाव भी होता है, जिसके कारण परिजनों द्वारा अंगदान की अनुमति नहीं दी जाती है।ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का भी अभाव है।हमारे यहां अंगों के परिवहन और संरक्षित करने की तकनीकी चुनौतियाँ भी हैं।हमें इन चुनौतियों से पार पानी होगी, तभी वास्तव में मानवता के लिए कुछ हो सकता है।निष्कर्षतः हम यह बात कही सकते हैं कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अंगदान एक महान सेवा है, जो मृत्यु के बाद भी जीवन दे सकती है।जागरूकता बढ़ाकर, प्रक्रियाओं में सुधार कर और सामाजिक धारणाएँ बदलकर हम लाखों लोगों को जीवनदान दे सकते हैं।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण: बदलता मौसम, घटता जीवन

● डॉ विजय गर्ग

गायब होती बसंत बयारः बसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) को सुहावना मौसम माना जाता था। लेकिन अब बीते कुछ वर्षों से, मार्च-अप्रैल से ही हीट वेव (अत्यधिक गर्मी) शुरू हो जाती है। परिणामस्वरूप, बसंत की बयार महसूस नहीं होती और सीधे गर्मी का ताप झेलना पड़ता है। अनियमित वर्षा: प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न भी बदल गया है। कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ रही है, तो कहीं कम बारिश से सूखा पड़ रहा है, जिससे कृषि कैलेंडर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

भारत में सदियों से छह ऋतुओं (बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर) का अपना एक क्रम रहा है। हर ऋतु अपने विशिष्ट सौंदर्य, मौसम और जीवनशैली के साथ आती थी। लेकिन आज, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्राकृतिक क्रम टूट रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रदूषण रूपी दानव हमारी प्यारी ऋतुओं को धीरे-धीरे निगलने लगा है। ऋतुओं के परिवर्तन का बिगड़ता स्वरूप

अब उत्तर भारत में, विशेषकर, छह की बजाय केवल तीन मुख्य मौसम ही अनुभव किए जाते हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात। और वे भी अपने निश्चित समय पर नहीं आते।

विलुप्त होती हेमंत और शिशिर (शीत): पहले अक्टूबर के अंत तक हल्की ठंड महसूस होने लगती थी (हेमंत), जो दिसंबर-जनवरी में भीषण शीत (शिशिर) में बदल जाती थी। अब, वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण मानसून का विस्तार होता जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर तक भी मानसूनी बारिश होती रहती है, और अचानक से तापमान गिर जाता है, जिससे हेमंत ऋतु का सुखद एहसास लगभग समाप्त हो गया है। ठंड का समय भी कम हो गया है।

गायब होती बसंत बयारः बसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) को सुहावना मौसम माना जाता था। लेकिन अब बीते कुछ वर्षों से, मार्च-अप्रैल से ही हीट वेव (अत्यधिक गर्मी) शुरू हो जाती है। परिणामस्वरूप, बसंत की बयार महसूस नहीं होती और सीधे गर्मी का ताप झेलना पड़ता है।

अनियमित वर्षाः प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न भी बदल गया है। कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ रही है, तो कहीं कम बारिश से सूखा पड़ रहा है, जिससे कृषि कैलेंडर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर

इस बदलाव का मुख्य कारण मानवजनित प्रदूषण और उससे उपजा ग्लवार्मिंग है।

वायु प्रदूषण (स्मॉग): सर्दियों में शहरों पर छाने वाली जहरीली धुंध (स्मॉग) सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुँचने से रोकती है। इससे रात का तापमान तो कम होता है, लेकिन दिन में ठंड का वह प्राकृतिक एहसास नहीं हो पाता, जिससे शीत ऋतु का आनंद बाधित होता है।

ग्रीनहाउस गैसें: जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का स्तर खतरनाक दर से बढ़ा है। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक परत बनाकर गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। यही बढ़ा हुआ तापमान ऋतुओं के समय और तीव्रता को बिगाड़ रहा है।

ओजोन रिक्तीकरणः वायु प्रदूषण समतापमंडल में ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता है और मौसमी संतुलन बिगड़ता है।

स्वास्थ्य और कृषि पर गंभीर परिणाम

ऋतुओं के इस विघटन का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है:

स्वास्थ्य संकटः अचानक बढ़ता-घटता तापमान, स्मॉग और दूषित पानी से श्वसन संबंधी बीमारियाँ (अस्थमा), एलर्जी, हृदय रोग और डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं।

कृषि का नुकसानः अनियमित वर्षा और तापमान में वृद्धि से फसलों का चक्र टूट रहा है। धान, गेहूँ और कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।

मौसम का गड़बड़ाता चक्र

प्रदूषण, विशेषकर वायु में बढ़ता पार्टिकुलेट मैटर और ग्रीनहाउस गैसें, तापमान को लगातार बढ़ा रही हैं। इसका सीधे-सीधे असर मौसम चक्र पर पड़ा है। गर्मी लंबी और तीखी होने लगी है, जबकि सर्दी छोटी और अनियमित। बरसात कभी अपेक्षा से अधिक, कभी अत्यंत कम और असमय होने लगी है। अब ऋतुएँ कैलेंडर नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्तर के अनुसार बदल रही हैं।

2. धुंध ने निगल ली सुबहें और शामें

सर्दियों की धुंध, जो कभी सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती थी, अब स्मॉग का रूप ले चुकी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में स्मॉग की मोटी चादर सूरज की रोशनी तक को छिपाने लगी है। ऐसे में शरद और हेमंत की महीन ठंड का आनंद गायब होने लगा है। लोगों को मौसम कम और प्रदूषण ज्यादा महसूस होने लगा है।

3. प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है

प्रदूषण के कारण तापमान में असामान्य बदलाव पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के जीवन चक्र को प्रभावित कर रहा है। फल-फूल अपने निर्धारित समय पर नहीं खिल रहे। परिंदे अपनी पारंपरिक प्रवास-यात्राएँ बदलने लगे हैं। फसलों की बुआई और कटाई का समय भी अव्यवस्थित होता जा रहा है। यह असंतुलन आने वाली खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता के लिए खतरा है।

4. ऋतु–संवेदनाओं का खो जाना

बचपन की यादों में बसंत के फूलों की महक, पीली सरसों का सौंदर्य, सावन की खुशबू, शरद की उजली धूप शायद हमेशा के लिए धुंधली पड़ने लगी है। आज की पीढ़ी मौसम का सुख नहीं, प्रदूषण का दंश अधिक महसूस कर रही है। ऋतुएँ अब अनुभव नहीं, आंकड़ों और चेतावनियों का विषय बन गई हैं।

5. समाधान की दिशा

अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में 'ऋतु' केवल किताबों में ही रह जाएँगी। इसके लिए जरूरी है—

वायु प्रदूषण के स्रोतों पर सख्त नियंत्रण

पराली प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधान और किसानों को सहयोग

वाहनों और उद्योगों के उत्सर्जन में कमी

बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण

जनता में पर्यावरणीय जागरूकता

समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, क्योंकि प्रदूषण भी सामूहिक समस्या है।

उपसंहार

प्रदूषण ने हमारी जीवन–शैली ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्राणवायु रूपी मौसमचक्र को भी जकड़ लिया है। ऋतुओं का विलुप्त होना केवल पर्यावरण का नहीं, हमारी संस्कृति और अस्तित्व का भी संकट है। यदि हम अभी कदम नहीं उठाएँगे तो आने वाली पीढ़ियाँ बसंत, शरद और हेमंत को केवल कहानियों में ही पढ़ेंगी।

समाधान: एक सामूहिक प्रयास

यह संकट अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की हवा और पानी को विषाक्त कर चुका है। इस पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है:

प्रदूषण नियंत्रणः व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त उपाय अपनाना।

नवीकरणीय ऊर्जाः जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना।

वन संरक्षण और वृक्षारोपणः वनों की कटाई को रोकना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, क्योंकि पेड़ वातावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रकृति का दिया हुआ यह अनमोल उपहार—हमारी ऋतुएँ—हमें बचाना होगा। अगर हमने अभी सजगता नहीं दिखाई, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल किताबों में ही बसंत की बयार और हेमंत की सुखद दस्तक के बारे में पढ़ पाएंगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

संपादकीय चिंतन-मनन

अपना गिरेबां

डॉ विजय गर्ग

समाज आधुनिकता की ओर जितना बढ़ रहा है, उतना ही रिश्तों में संवेदनशीलता कम होती जा रही है। आज के डिजिटल युग में किसी को नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर बस एक टिप्पणी या वीडियो ही काफी हो चला है। पहले जहां लोग सामने बैठकर बात करते थे, अब हर विवाद सोशल मीडिया की दीवार पर चिपका दिया जाता है। खासकर तब, जब बात किसी व्यक्ति की निजी कमियों को उजागर करने की आती है। किसी की गलती या कमजोरी को सार्वजनिक कर देने की यह प्रवृत्ति न केवल समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी कमजोर करती है।

किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ कमियां या गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। जीवन का सौंदर्य ही इस अपूर्णता में छिपा है, क्योंकि यही अपूर्णता हमें विनम्र बनाती है, हमें सीखने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरों की निजी भूलों या कमियों को मंच बनाकर उजागर करता है, तो वह न केवल दूसरों का अपमान करता है, बल्कि अपने ही चरित्र की ऊंचाई भी घटा देता है। ऐसे समय में यह समझना

जरूरी है कि दूसरों की कमियां सार्वजनिक करना बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि नैतिक दुर्बलता का परिचायक है। आज के समय में सोशल मीडिया पर किसी की छोटी-सी चूक भी बड़ी कहानी बन जाती है। कुछ लोग दूसरों की गलतियों को पकड़कर अपने अनुयायियों या दोस्तों के सामने साबित करना चाहते हैं कि वे सच्चाई के सबसे बड़े प्रहरी हैं, लेकिन असल में यह न्याय नहीं, प्रदर्शन है। किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करना इंसानियत का नहीं, अहंकार का संकेत है। महान लोग दूसरों की कमियों पर नहीं, उनके गुणों पर ध्यान देते हैं। वे किसी की गलती को सजा देने नहीं, सुधारने का अवसर समझते हैं।

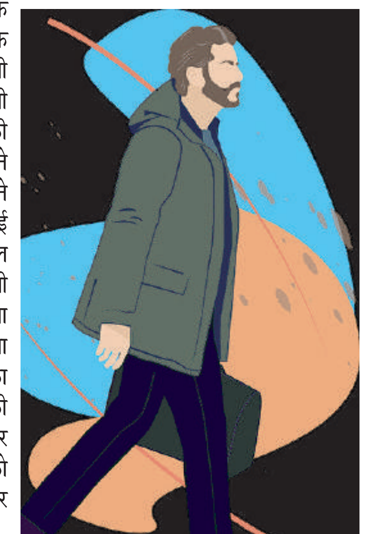

हम सोच कर देखें कि हमारे अपने जीवन की सभी गलतियां दुनिया के सामने खोल दी जाएं, तो क्या हम सहज रह पाएंगे? हर व्यक्ति के पास एक निजी संसार होता है, जहां उसकी असफलताएं, टूटन और गलती के क्षण समाहित होते हैं। इन्हें उजागर करना किसी को भीतर तक तोड़ देने वाला हो सकता है। सच्चाई बोलने और अपमान करने में हमेशा एक महीन सीमा होती है, जो समझदारी और संवेदनशीलता से ही पहचानी जा सकती है।

कई बार समूहों में, कार्यस्थलों पर या मित्र मंडली में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि किसी व्यक्ति की निजी कमी को सबके सामने लाकर हंसी का विषय बना दिया जाता है। जैसे किसी की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक कमजोरी, शारीरिक बनावट या पारिवारिक समस्या को मजाक या ताने के रूप में उछाल दिया जाता है। उस क्षण व्यक्ति खुद को विजेता समझता है, जबकि वास्तव में वह अपनी मानवीय परिपक्वता खो देता है। किसी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने वाला व्यक्ति कभी लंबे समय तक सम्मानित नहीं रह पाता, क्योंकि लोग उसके भीतर का झूठा आत्मगौरव पहचान लेते हैं।

कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो लोग दूसरों की कमियों को उजागर करने में आनंद महसूस करते हैं, वे अक्सर अंदर से खुद असुरक्षित या अपूर्ण महसूस करते हैं। वे अपने जीवन की कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की कमियों को ढाल बना लेते हैं। यह व्यवहार स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कृत्रिम चाह से उपजता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि असली श्रेष्ठता दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने से मिलती है।

युवा पीढ़ी के लिए यह बात और भी महत्त्वपूर्ण है। आज के युवाओं के पास अभिव्यक्ति के सोशल मीडिया के मंचों के रूप में असंख्य माध्यम हैं। मगर इन मंचों का उपयोग करते समय थोड़ी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी जरूरी है। किसी की निजी बात को बेलगाम तरीके से फैलाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या यह कदम हमें एक बेहतर इंसान बना रहा है या सिर्फ किसी को शर्मिंदा करने का माध्यम है? समाज तभी सुंदर बनता है जब लोग दूसरों की इज्जत को अपनी जिम्मेदारी समझें। किसी भी समूह या संगठन में सबसे बड़ी ताकत परस्पर सम्मान होती है। जब यह सम्मान टूटता है, तो संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति को गलत साबित करने या आलोचना के लिए भी मर्यादा रखना जरूरी है। अगर किसी की गलती को ठीक करना है, तो निजी संवाद ही रास्ता है। जीवन अवसर देता है कि हम दूसरों की कमजोरी देखकर हंसे या फिर उनकी मदद करके खुद के चरित्र को ऊंचा करें। कौन-सा रास्ता चुनना है, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इतिहास बताता है कि जिन्हें लोगों ने सबसे अधिक सम्मान दिया, वे वैसे लोग नहीं थे जिन्होंने दूसरों पर कसे, बल्कि वे थे, जिन्होंने दूसरों की गलतियों को क्षमा किया और उन्हें फिर आगे बढ़ने का हौसला दिया। ऐसे लोग समाज के प्रकाशस्तंभ बनते हैं।

किसी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने से क्षणिक संतुष्टि भले मिल जाए, लेकिन इसका असर दीर्घकालिक रूप से दोनों पक्षों पर पड़ता है। जिस व्यक्ति को अपमानित किया गया, वह भीतर से टूट जाता है, और जिसने अपमान किया, वह दूसरों की दृष्टि में धीरे-धीरे अपनी विश्वसनीयता खो देता है। समय के साथ लोग पहचान जाते हैं कि कौन ईमानदारी से बोलता है और कौन दूसरों के दर्द को हथियार बनाता है।

युवा मन में प्रतिस्पर्धा, तर्क और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वाभाविक है, लेकिन इन सबके बीच करुणा और विवेक का साथ जरूरी है। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि किसी की कमजोरी हमारे मनोरंजन का विषय नहीं, बल्कि उसकी सहायता का अवसर है, उस दिन समाज अधिक सुंदर हो जाएगा।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

बिहार चुनाव नतीजे : अर्थ और अनर्थ (आलेख : राजेन्द्र शर्मा)

जीता वो सिकंदर! इसलिए, हैरानी की बात नहीं है कि अपने रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बिहार की जीत पर खूब गाल बजाना नहीं भूला। यहां तक कि इस जीत को प्रधानमंत्री ने इसका प्रमाण और उदाहरण बनाकर भी पेश कर दिया कि उनके नेतृत्व में चल रही राजनीतिक ताकत की 'सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक' है, 'विकास, विकास और सिर्फ विकास।'
लेकिन, इस लफ्फाजी के पर्दे से क्या प्रधानमंत्री इस नतीजे के उस महत्वपूर्ण अर्थ को ढांपने की ही कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसे उनकी पार्टी की असम सरकार के मंत्री, अशोक सिंघल ने इस चुनावी जीत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उजागर कर दिया था। भाजपायी मंत्री का ट्वीट जितना संक्षिप्त था, उससे ज्यादा मारक था। उसने फूल गोभी की खेती की तस्वीर लगाकर, बिहार में भागलपुर के अस्सी के दशक के आखिर के दंगों और उसमें खासतौर पर लोगाई गांव की दरिंदगी की याद दिलायी थी, जहां एक सौ अठारह मुसलमानों को मारकर, खेतों में गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर से फूल गोभी बो दी गयी थी। इस तस्वीर के साथ भाजपायी मंत्री की टिप्पणी थी — बिहार ने अनुमोदन किया! यानी बिहार चुनाव का नतीजा, मुस्लिम-विरोधी नरसंहार की ओर ले जाने वाले विचार का अनुमोदन है।
इसके बावजूद भाजपा के नेतृत्व वाले गठजोड़ की जीत के सांप्रदायिक तत्व को ही पूरी तरह से दबा दिया गया है। यह इसके बावजूद था कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतिश कुमार के नेतृत्व और खुल्लमखुल्ला मुस्लिम-विरोधी रुख अपनाने से बचने वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ की मजबूरी भी, भाजपा को गिरिराज सिंह से लेकर, योगी आदित्यनाथ तक, मुख्यत: सांप्रदायिक बोली के लिए कुख्यात अपने नेताओं को, स्टार प्रचारकों के रूप में चुनाव प्रचार में उतारने से रोक नहीं पायी थी। यहां तक कि पहले चरण के मतदान के बाद, खासतौर पर सीमांचल क्षेत्र में अपनी चुनाव सभाओं में खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनके नंबर दो अमित शाह, 'घुसपैठियों के खतरे' के बहाने से, मुस्लिम-विरोधी संदेश देने में जुट गए थे।
लेकिन, बिहार के नतीजे का सांप्रदायिक पहलू ही नहीं है, जिसे पूरी तरह से छुपाया गया है, छुपाया जा रहा है। इस चुनाव नतीजे का दूसरा इसी तरह से छुपाया गया पहलू है, इसका सामाजिक पहलू। यह हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठजोड़ ने इस चुनाव में केंद्रीय नैरेटिव के तौर पर लालू-राबड़ी के 'जंगल राज' बनाम नीतीश कुमार के 'सुशासन' को स्थापित करने की जो कोशिश की थी, उसके केंद्र में यादवों का दानवीकरण था। इसी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 'कनपटी पर कट्टा' लगाए जाने का डर दिखाने में लगे रहे थे। बाद में तो उन्होंने अहीरों के 'सिक्सर से छ: गोली सीने में' उतारने का भोजपुरी गीत भी गाना शुरू कर दिया! इस दानवीकरण का मकसद, सत्ताधारी गठजोड़ द्वारा गढ़े गए उस सामाजिक/जातिगत गठजोड़ के वास्तविक चरित्र को छुपाना था, जो ऊंची जातियों की लगभग मुकम्मल एकजुटता के गिर्द, गैर-यादव पिछड़ों, अति-पिछड़ों और दलितों के बड़े हिस्से को जुटाने के जरिए गढ़ा गया था।
'जंगल राज' का मिथक और दो जाति-गठजोड़ों के बीच झूठी-बराबरी की गढ़ंत, ये दोनों इस सच्चाई को छुपाने के सबसे मोटे पर्दे थे कि सत्ताधारी गठजोड़ का सामाजिक सार क्या था? मीडिया के विश्लेषणों में एक तथ्य कथन के रूप में इसके बखानों ने इस पर्दे को और मोटा कर दिया था कि किस तरह सत्ताधारी गठजोड़, विपक्षी गठबंधन के मुकाबले कहीं व्यापक तथा संख्याबल में बड़े सामाजिक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता था। इसके जरिए कई बार अनजाने में, हालांकि अक्सर समझ-बूझकर, इस सच्चाई को छुपाया जा रहा था कि यह जाति-गठबंधनों के बीच होड़ भर नहीं थी, बल्कि सवर्ण जातियों पर केंद्रित कतारबंदी द्वारा, वंचित तबकों की एकजुटता में, वह चाहे वास्तविक हो या संभावित, सेंध लगाए जाने की कहानी थी।
वास्तव में लालू-राबड़ी का कथित जंगल राज, वंचित जातियों की, जिसमें मुस्लिम और महिला भी आते थे, एकजुटता के एसर्शन की ही कहानी थी। और भाजपा द्वारा लालू प्रसाद यादव से तोड़कर, नीतीश कुमार को अपने पाले में खींचे जाने से, इस एकजुटता के तोड़े जाने की शुरूआत हुई थी। संघ-भाजपा ने तभी यह पहचान लिया था कि विशेषाधिकार-प्राप्त तबकों के हाथ में सामाजिक सत्ता बनाए रखने के लिए, वंचितों की संभव एकजुटता को नेतृत्वविहीन करना और इसके लिए उसको नेतृत्व मुहैया कराने वाले अपेक्षाकृत संख्या बल वाले तबकों को अलग-थलग करना, जरूरी है।
बिहार में यादवों, उत्तर प्रदेश में यादवों तथा जाटवों, हरियाणा में जाटों और अन्यत्र इसी प्रकार महत्वपूर्ण खेतिहर जातियों को निशाना बनाकर, विशेषाधिकार-प्राप्त तबकों के हाथ में सत्ता बनाए रखने की यह रणनीति, चुनावी पहलू से काफी कामयाब भी रही है। विपक्षी महागठबंधन की सामाजिक न्याय के प्रति निर्विवाद प्रतिबद्घता के बावजूद, बिहार में एक बार फिर वंचितों को एकजुट करने की कोशिशों को विफल कर, विशेषाधिकार-प्राप्त तबकों का सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखा गया है। इस सच्चाई को, जिसे अक्सर छुपा ही लिया जाता है, नयी गठित विधानसभा में और सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों में, जातिवार अनुपात में आसानी से देखा जा सकता है। जाहिर है कि सवर्णों की संख्या, अनुपात से कहीं बहुत ज्यादा है।
'जो जीता वो सिकंदर' के शोर में जिस एक और बुनियादी सच्चाई को दबा ही दिया गया है, वह यह है कि 14 नवंबर को जिसका नतीजा निकला, वह चुनाव बस कहने-गिनाने के लिए ही चुनाव था। जनता के बहुमत की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति होने से यह चुनाव कोसों दूर ही नहीं था बल्कि व्यवहार में बहुत दूर तक उसका निषेध भी था। और जनमत की अभिव्यक्ति के निषेध का यह सिलसिला शुरू तो मोदी की भाजपा के देश में और बिहार में भी सत्ता में आने के बाद से ही हो गया था, जब संसाधनों में भाजपा की अनुपातहीन बढ़त और अंधाधुंध संसाधन झोंकने की उसकी तत्परता के जरिए, चुनावी मुकाबले को पूरी तरह से नाबराबरी का बना दिया गया।
चुनाव मुकाबले की इस असमानता को, मोदी राज की विपक्ष के खिलाफ सत्ता के दमनकारी औजारों का सहारा लेने की उत्सुकता ने विपक्ष के लिए, योगेंद्र यादव के शब्दों में कहें तो एक कठिन 'बाधा दौड़' ही बना दिया था। और अन्य तमाम संवैधानिक संस्थाओं की तरह, चुनाव आयोग पर सत्ताधारी पार्टी के कब्जे ने, इस बाधा दौड़ को भी एक लगभग असंभव दौड़ बना दिया था। लेकिन, २०२४ के आम चुनाव के बाद से, चुनाव आयोग की मिलीभगत से, सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कराने के इतने पक्के इंतजाम कर लिए हैं कि, जनतंत्र की वास्तव में चिंता करने वालों ने गंभीरता से यह सवाल भी पूछना शुरू कर दिया है कि विपक्ष को ऐसे चुनाव में हिस्सा लेना भी चाहिए या नहीं?
बिहार के हाल के चुनाव में, चुनाव आयोग के जरिए चुनावी नौकरशाही को सत्ताधारी गठजोड़ के पक्ष में सैट करने के अलावा, कम से कम तीन स्तर पर अनुकूल नतीज के ये पक्के इंतजाम काम कर रहे थे। पहला, एसआईआर के जरिए मतदाता सूचियों से नामों की टार्गेटेड छंटाई और टार्गेटेड जुड़ाई भी। यह कोई संयोग ही नहीं है कि पिछले चुनाव में विपक्ष द्वारा कम अंतर से जीती गयी कई सीटों पर, वहां काटे गए वोटों से कम अंतर से, इस बार सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जीत गए हैं। मतदाता सूचियों के कथित रूप से स्वच्छ किए जाने के बाद, हजारों लोगों को इस बार मतदान केंद्रों से निराश लौटना पड़ा क्योंकि उनके वोट काट दिए गए थे।
दूसरी ओर, वोटों की टार्गेटेड जुड़ाई के साक्ष्य के तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई आदि के दर्जनों जाने-पहचाने भाजपा नेताओं के, अपने-अपने राज्यों में मतदान करने के बाद, बिहार में भी मतदान करने के वीडियो सामने आए हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह संख्या दर्जनों में ही होगी, जबकि एक खोजी रिपोर्ट से एक विधानसभाई क्षेत्र में ही मतदाता सूची में, उत्तर प्रदेश के पांच हजार मतदाताओं के नाम शामिल होने की सच्चाई सामने आयी थी। और कथित रूप से शुद्घ की गयी मतदाता सूचियों में फर्जी पते, अधूरे नाम, न पहचानने वाली तस्वीरों वाले लाखों मतदाता मौजूद थे।
दूसरे, चुनाव आयोग की मिलीभगत से एक करोड़ बीस लाख महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रुपए चुनाव के बीच में डाले जाने समेत, सरकारी खजाने से अनुमानत: ३०,००० करोड़ रुपए की खैरात टार्गेटेड मतदाता समूहों में बांटी ही नहीं, यह पैसा पाने वाली करीब एक लाख जीविका दीदियों से, चुनाव आयोग द्वारा दोनों चरणों में मतदान के काम में मदद भी ली गयी! तीसरे, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की कुल संख्या से लेकर मत फीसद तक और वोटों की गिनती में भी, संदेहजनक आचरण की पराकाष्ठा कर दी। न सिर्फ एक बार फिर मत फीसद बाद तक बढ़ाया जाता रहा, आयोग के अनुसार ही जितने वोट पड़े, उससे करीब पौने दो लाख वोट ज्यादा गिने गए; कम से कम छ: सीटों पर कैंसिल किए गए डाक मतों से कम अंतर से हार-जीत हुई; कम से कम आठ सीटों पर जीतने वाले सत्ताधारी गठजोड़ के उम्मीदवारों के वोट की संख्या संदेहजनक तरीके से एक जैसी निकली, आदि।

मॉडर्न तकनीकी के दौर में संभावनाओं से भरपूर पेशा

डा विजय गर्ग

औद्योगिक जरूरतों के चलते इंजीनियरिंग में नए विषयों का समावेश किया गया है। मैकेनोट्रॉनिक्स ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें कई कैरियर विकल्प हैं। इसमें स्नातक के बाद रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन इंडस्ट्री, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट फैक्ट्रियों, एआई एवं आईओटी आधारित उद्योग संबंधी जॉब मिल सकते हैं।

इंजीनियरिंग आज लाखों विद्यार्थियों की रुचि का क्षेत्र है। सामान्यतः अधिकांश विद्यार्थियों का 10+2 कक्षा में पीसीएम विषयों के चुनाव के पीछे का उद्देश्य जेईई के माध्यम से किसी अच्छे संस्थान से अपनी रुचि के ट्रेड में बीटेक करना होता है। औद्योगिक आवश्यकताओं के बदलते स्वरूप के कारण इंजीनियरिंग में नए विषयों का समावेश किया गया है।

आज के तकनीकी युग में उद्योग की दुनिया तेजी से ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, स्मार्ट मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मैकेनोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उन क्षेत्रों में से एक है जो छात्र को एक नहीं, बल्कि कई कैरियर विकल्प उपलब्ध कराती है। यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग शाखा है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंट्रोल सिस्टम और रोबोटिक्स का समन्वय होता है।

मॉडर्न इंडस्ट्री के मुताबिक कोर्स

बीटेक मैकेनोट्रॉनिक्स एक चार वर्षीय स्नातक डिग्री है जिसमें छात्रों को स्मार्ट मशीनों का डिज़ाइन, विकास, ऑटोमेशन, सेंसर तकनीक, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और एआई आधारित औद्योगिक सिस्टम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कोर्स इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।

प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। आरक्षण वाले वर्गों में कुछ संस्थान 45 प्रतिशत तक स्वीकार करते हैं। कुछ एनआईटी कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थियों को ही वरीयता देते हैं। प्रवेश मुख्यतः राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होता है

प्रवेश प्रक्रिया

जेईई मेन : अधिकतर राष्ट्रीय संस्थान इसी के आधार पर प्रवेश देते हैं। वहीं जेईई एडवांस्ड आईआईटी / एनआईटी में प्रवेश हेतु अनिवार्य है। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय परीक्षाएं जैसे महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी, उत्तर प्रदेश में यूपीएसईई, गुजरात में जीयूजे एसईटी (गुजसेट) आदि संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कुछ निजी विश्वविद्यालय अपने स्वयं के एंट्रेंस टेस्ट भी कराते हैं।

कोर्स की अवधि

कुल अवधि है 4 वर्ष यानी 8 सेमेस्टर। इसमें लैब वर्क, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क तथा इंटर्नशिप शामिल होती है।

इन क्षेत्रों में हैं अवसर

मैकेनोट्रॉनिक्स इंजीनियर की मांग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। मुख्य कैरियर क्षेत्रों में— रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन इंडस्ट्री, एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल उद्योग (इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर सहित), मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट फैक्ट्रियां, मेडिकल उपकरण उद्योग (बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स), एआई एवं आईओटी आधारित उद्योग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3डी प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। इसके अतिरिक्त शोध के क्षेत्र में मैकेनोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की विशेष मांग और प्रचुर संभावनाएं हैं।

प्रमुख सरकारी शिक्षण संस्थान

आईआईटी हैदराबाद- मैकेनोट्रॉनिक्स इंजीनियर/ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी पटना- मैकेनोट्रॉनिक्स विशेषज्ञता, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी), चंडीगढ़।

फीस संरचना (सरकारी संस्थान)

आईआईटी में फीस प्रतिवर्ष लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। एनआईटी जैसे संस्थानों में वार्षिक फीस 90 हजार से डेढ़ लाख तक हो सकती है। डीटीयू / पीईसी जैसे राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय / संस्थानों में फीस लगभग 60,000 रुपये से डेढ़ लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। फीस से संबंधित अधिक सटीक जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मैकेनोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उन छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो भविष्य की स्मार्ट तकनीकों के साथ कार्य करना चाहते हैं। यह कोर्स इंजीनियरिंग की कई शाखाओं का समन्वित रूप है, इसलिए कैरियर संभावनाएं भी व्यापक हैं—रोबोटिक्स से लेकर एयरोस्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग तक। अगर आप नवाचार, डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी के प्रति उत्साहित हैं, तो यह आपके लिए भविष्य का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

हाथ में खूंखार हिडमा के पोस्टर, जेब में चिली स्प्रे- ये कैसे पर्यावरण समर्थक है ?

रामस्वरूप रावतसरे

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इसी गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए कुछ युवाओं ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरुआत में वे ये दिखा रहे थे कि वे हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उनका असली रंग सामने आ गया। वामपंथी प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में मारे गए खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और 'कॉमरेड हिडमा अमर रहे' के नारे लगाए। इन वापपंथी प्रदर्शनकारियों की तैयारी देखकर साफ समझा जा सकता है कि प्रदूषण तो एक बहाना था, इनका मुद्दा कुछ और था क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा के नाम लिखी तख्तियाँ और पोस्टर ही नहीं बल्कि पेपर स्प्रे भी लेकर आए थे। पुलिस ने जब इनसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की माँग की तो इन्होंने पुलिसकर्मियों पर इसका इस्तेमाल किया।

पुलिस के अनुसार, २३ नवंबर २०२५ को करीब 4.30 बजे ये प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सी-हेक्सागन क्षेत्र में जुटे। वहाँ मौजूद पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से हटने को कहा लेकिन वे लगातार हिडमा के पक्ष में नारे लगाते रहे और निर्देशों को नजरअंदाज करते रहे। स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई पुलिसकर्मियों की आँखों में तेज जलन हुई और तीन से चार कर्मियों को तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार के अनुसार "पहली बार हमने पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल होते देखा।

जानकारी के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागन के अंदर जमा हो गए और फिर उस बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जिसे पुलिस ने आने-जाने पर रोक लगाने के लिए लगाया था हालाँकि, वे नहीं माने. उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया, सड़क पर आ गए, और वहीं बैठ गए। पुलिस ने उनसे हटने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनके पीछे कई एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारी इंतजार कर रहे थे और उन्हें इमरजेंसी एक्सेस की जरूरत थी. पुलिस ने ट्रैफिक में रुकावट से बचने के लिए उन्हें सी-हेक्सागन से हटा दिया। हटाने के दौरान, कई प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई हुई और कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। हंगामे के कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कुल 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस पर हमला करने और हिंसक गतिविधियों में शामिल होने जैसी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जानकारों के अनुसार असल में इन्हें दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से तो कोई लेना-देना ही नहीं था। इनका टार्गेट ही अशांति पैदा करना था। एक वामपंथी ने इस पर बयान देते हुए तो भारत के सबसे खूँखार और मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडरों में शुमार माड़वी हिड़मा के तारीफ के पुल ही बाँध दिए। उसने कहा, "हिडमा एक जनजातीय है जिसने अपने हक के लिए हथियार उठाए। इसे गलत कह सकते हैं लेकिन वे इसके पीछे के कारण को नकार नहीं सकते। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई जनजातियों की लड़ाई है. यह पानी, जंगल और जमीन की लड़ाई है। इस वजह से नारायण कान्हा को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। अपने हक की रक्षा करने वाले लोगों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता।"

यह पहली बार नहीं जब ये वामपंथी गुट किसी भी अन्य मुद्दे को ढाल बनाकर सामने आया हो और बाद में असली रंग दिखाया हो। किसान आंदोलन के समय भी किसानों के साथ उनकी लड़ाई में शामिल होने को ढोंग कर के इन वामपंथियों ने एक शांत से धरने को दूसरा रंग दे दिया था। उस समय किसानों के हितों की माँग का दावा करने वाले प्रदर्शनकारी अचानक उमर खालिद और शरजील इमाम की तख्तियाँ लेकर बैठ गए थे। इतना ही नहीं, उस समय भी पुलिस को टार्गेट करके हिंसा के प्रयास हुए थे।

इसके अलावा, साल २०१९-२० का समय याद करें तो दिल्ली समेत जगह-जगह सीएए-एनआरसी के विरोध में सड़क पर आकर बैठे प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रोटेस्ट का रंग बदल दिया था। उन्हीं प्रदर्शनों का नतीजा था कि दिल्ली को हिंदू विरोधी दंगे झेलने पड़े। 40-50 लोगों की निर्ममता से मौत हुई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उनके ऊपर कहीं गर्म पानी फेंका गया था तो कहीं हथियार लेकर उन्हें दौड़ाया गया था। उन्हें टारगेट करने के लिए दिल्ली दंगों में आरोपित गुलफिशा फातिमा जैसे लोगों ने उमर खालिद के कहने पर लाल मिर्च पाउडर, एसिड, बोतलें, डंडे तक जमा किए थे।

दोबारा वैसी ही स्थिति देखने को मिली है जिसका मतलब साफ है कि पर्यावरण जैसा मुद्दा भी इन वामपंथियों के लिए सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का एक साधन मात्र है। अंत में इनका असली चेहरा कभी नक्सल समर्थक, कभी आतंक समर्थक के तौर पर उभर कर आता है। इन्हें समस्या देश, देश की सरकार और देश के कानून से होती है और इनकी संवेदना देश विरोधी तत्वों से। जिस हिडमा के लिए इन्होंने दिल्ली में पुलिस पर हमला किया है, क्या उसकी लड़ाई सच में अपनी जमीन जंगल और अधिकार की थी ? क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके हाथ मासूमों की हत्या से लाल नहीं होते।

हकीकत यही है कि हिडमा बस्तर में नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था और सेंट्रल टीम को सँभाल रहा था। माना जाता है कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, तब माड़वी हिडमा भागने में कामयाब रहा था लेकिन इस बार सुरक्षाबलों ने उसे खत्म कर दिया। हिडमा 150 से अधिक जवानों की जान ले चुका था। साल २००4 से अब तक २६ से अधिक हमलों में वह शामिल था। इन हमलों में २०13 का झीरम अटैक और २०२1 का बीजापुर अटैक शामिल है। ३ अप्रैल २०२1 को सुरक्षाबलों ने माड़वी हिडमा को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया और इस मुठभेड़ में २२ जवान बलिदान हो गए थे। दंतेवाड़ा हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की बलिदानी हुई थी, इसका नेतृत्व भी इसी ने किया था।

भारत में नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की आक्रामक मुहिम ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) को घुटनों पर ला दिया है। संगठन की महाराष्ट्र -मध्यप्रदेश -छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोनल कमेटी ने २२ नवंबर २०२5 को एक प्रेस रिलीज जारी कर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों विष्णुदेव साय, देवेंद्र फडणवीस और मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसमें हथियार छोड़कर सरेंडर करने और सरकारी पुनर्वास योजना अपनाने की इच्छा जाहिर की गई है।

एमएमसी जोन के प्रवक्ता 'अनंत' ने कहा है "हम सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने के लिए तैयार है। संगठन ने सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 फरवरी २०२6 तक का समय माँगा है जो सरकार की 31 मार्च २०२6 की माओवाद समाप्ति डेडलाइन के दायरे में है। पत्र में स्पष्ट किया गया, "यह समय दूर-दराज के साथियों तक संदेश पहुँचाने और राय लेने के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास आधुनिक कम्युनिकेशन माध्यम नहीं हैं।"

संगठन ने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह मनाने से इनकार कर दिया है, जो पहली बार हो रहा है। अनंत ने अपील की, "इस अवधि में तीनों राज्यों की सरकारें संयम बरतें और सुरक्षा बलों के अभियान, मुखबिर नेटवर्क आधारित ऑपरेशंस को रोकें। हम भी सभी गतिविधियाँ स्थगित रखेंगे ताकि शांति का माहौल बने।"

एक असामान्य माँग में माओवादियों ने सरकार से निवेदन किया कि पत्र को रेडियो पर मुख्य समाचार से पहले प्रसारित किया जाए क्योंकि "रेडियो ही हमारे साथियों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम है।" इसके अलावा, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और यूट्यूब रिपोर्टर्स से मिलने की अनुमति माँगी गई है ताकि मध्यस्थों के जरिए सरेंडर प्रक्रिया तेज हो। पत्र में कहा गया, "हम जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांतों पर चलते हैं, इसलिए सबकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते।" यह पत्र हालिया हिडमा एनकाउंटर के बाद आया है जिससे संगठन में खलबली मच गई।

इसी खलबली का नतीजा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बहाना कर खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी की गई। अब जबकि 'ऑपरेशन कगार' अपने अंतिम चरण में है और 'लाल आतंक' का खात्मा हो रहा है, ऐसे में अर्बन नक्सल और उनसे जुड़े संगठन अब लोगों को भ्रमित और कट्टरपंथी बनाने के लिए अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं।

रामस्वरूप रावतसरे

उच्च पद, निम्न सोच — क्या ऐसे अधिकारी समाज का नेतृत्व कर पाएँगे?

मध्यप्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा द्वारा दिया गया बयान—

"जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दान न दे, तब तक आरक्षण मिले"—सिर्फ एक विवादित वक्तव्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक नैतिकता के क्षरण, संवैधानिक मर्यादा के अपमान और सामाजिक चेतना के पतन का सजीव उदाहरण है।

यह वक्तव्य किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि राज्य की सर्वोच्च सेवा में बैठे उस अधिकारी का है, जिसके एक शब्द से नीतियाँ बदलती हैं, फैसले प्रभावित होते हैं और समाज दिशा ग्रहण करता है।

जब ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति ही जाति के चश्मे से समाज को देखने लगे, तब यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि—

क्या यह प्रशासनिक तंत्र के मूल चरित्र पर लग रहा एक गहरा धब्बा नहीं ?

आरक्षण नौकरी दे सकता है, 'उच्चता' नहीं

वास्तविकता यह है कि आरक्षण केवल अवसर देता है, लेकिन उच्च सोच, उच्च आचरण और उच्च मानवीय मूल्य किसी परीक्षा की सीट या पद से नहीं आते।

वे आती हैं—

संस्कारों से, संवेदनशीलता से, समाज को जोड़ने की क्षमता से।

लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी जब मंच पर खड़े होकर जातिगत दान—उपदान की भाषा बोले,

तो स्पष्ट हो जाता है कि पद ऊँचा हो सकता है, पर सोच का स्तर वहीं खड़ा है जहाँ संकीर्ण मानसिकताएँ खड़ी होती हैं।

संविधान की दुहाई, पर संविधान का अपमान

विडंबना यह है कि आईएएस वर्मा, जिन्हें संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है,

वे ही संविधान की मूल भावना—

समानता, गरिमा और न्याय—

का सबसे बड़ा उपहास कर बैठे।

उनके शब्द केवल असंगत नहीं, बल्कि संविधानिक नैतिकता की अवमानना हैं।

जाति आधारित टिप्पणी करना केवल समाज को विभाजित करना नहीं है, बल्कि इस बात का भयावह संकेत है कि भविष्य में निर्णय लेने का उनका दृष्टिकोण कितना पक्षपातपूर्ण हो सकता है।

क्या सामान्य वर्ग की सुनवाई बंद हो जाएगी ?

यदि एक अधिकारी खुलेआम जाति विशेष की शर्तें रखने लगे,

तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है—

क्या वह सामान्य वर्ग, वंचित वर्ग या किसी अन्य समुदाय की समस्याएँ निष्पक्षता से सुनेगा ?

या फिर जवाब यही होगा—

"पहले बेटी दो, फिर काम होगा ?"

यह सोच न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि खतरनाक है।

यह उन सभी मूल्यों के खिलाफ है जिन पर प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा खड़ा है।

पद की गरिमा बनाम व्यवहार की तुच्छता

आईएएस का पद केवल वेतन और अधिकार नहीं, बल्कि जनता में विश्वास का स्तंभ है।

लेकिन जब अधिकारी ही अपने शब्दों से पद की प्रतिष्ठा को गिराने लगे,

तो यह सिर्फ स्वयं का नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र का अपमान है।

ऐसी टिप्पणियाँ समाज का मनोबल नहीं बढ़ातीं,

बल्कि यह संदेश देती हैं कि

उच्च पदों पर बैठे लोग भी मानसिक रूप से सामंती सोच से मुक्त नहीं हो पाए हैं।

क्या ऐसे अधिकारी समाज का नेतृत्व कर पाएँगे ?

प्रशासन समाज का दर्पण होता है, मार्गदर्शक होता है।

लेकिन जब मार्गदर्शक ही धुंधला दिखाई देने लगे,

तो दिशा भ्रमित होना तय है।

हमारे समाज को ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है

जो—न्याय को प्राथमिकता दें, समाज को जोड़ें, बाँटें नहीं

संविधान की रक्षा करें

और शब्दों में संयम एवं व्यवहार में गंभीरता रखें

लेकिन वर्मा का बयान तो बिल्कुल उलटी दिशा में जाता है।

समाज को सोचने की जरूरत है

यह प्रकरण सिर्फ एक अधिकारी की टिप्पणी नहीं, बल्कि हमारी प्रशासनिक मानसिकता में छिपे सामंती अहंकार का पर्दाफाश है।

जब तक हम ऐसे विचारों पर प्रश्न नहीं उठाएँगे,

जब तक हम उनसे जवाबदेही नहीं माँगेंगे,

तब तक यह सोच बदलने वाली नहीं।

समाज का उत्थान पदों से नहीं,

बल्कि विचारों की ऊँचाई से होता है।और दुर्भाग्य की बात है कि

यहाँ पद ऊँचा है, पर सोच बेहद नीची।

स्वाति सिंह राठौर साहिबा
महेश्वर मध्यप्रदेश

क्या संसद का शीतकालीन सत्र कोई नया मानक स्थापित कर पाएगा या फिर वही घिसी-पिटी सियासत दोहरायी जाएगी?

कमलेश पांडेय

कभी लोकतंत्र की जनभावनाओं को स्पष्ट करते हुए फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा था कि ₹मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो सकता लेकिन उसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा आखिरी दम तक करूंगा।₹ लेकिन यह विशुद्ध रूप से संस्कारवान नीति की बात है। आज जबकि लोकतांत्रिक सियासत का विकृत चेहरा घटना दर घटना सामने आ चुका है और चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन, दोनों की विभिन्न कुसंस्कारी घटनाएं कुछ गलत नजीर/नजरिया प्रदान कर चुकी हैं तो इनकी निरन्तरता को लेकर अब प्रशासनिक और न्यायिक सख्ती की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि अब राजनीतिक आचार संहिता भी पक्षपात पूर्ण प्रतीत होने लगी हैं। ऐसे में फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर के विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता है।

चूंकि भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसलिए सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी नकारात्मक अतीत से सबक लेकर सकारात्मक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। इसे जनहित के विषय पर स्वस्थ बहस का मंच बने रहने देना चाहिए। राजनेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी सियासत तो होती रहेगी लेकिन इस क्रम में जो अनैतिक परंपराएं विधायिका के ऊपर हावी होती चली जा रही हैं, उसे रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे माननीय सांसद बंधुओं पर ही है क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा की ही नकल अब विधानसभा व विधानपरिषद में ही होने लगी है। खासकर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर बयानबाजी व गुटबाजी तथा झड़प को रोकने की जरूरत है।

यही वजह है कि सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यसभा बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें सदस्यों के लिए 'करने' और 'न करने' वाली बातों का जिक्र किया गया है। इसी बुलेटिन के मुताबिक, सभापति के निर्णय की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आलोचना नही की जानी चाहिए। यही स्वस्थ संसदीय परंपरा समझी जाती है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि सभापति सदन के पूर्व उदाहरणों के अनुसार निर्णय देते हैं और जहां कोई पूर्व उदाहरण नहीं होता, वहां सामान्य संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है।

जाहिर तौर पर इस दिशानिर्देश का मकसद राज्यसभा की कार्यवाही को अतीत की अपेक्षा और बेहतर बनाना है लेकिन इसमें आलोचना की भी जगह होनी चाहिए। आलोचना की जगह समालोचना हो तो और अच्छी बात होगी लेकिन सियासी कुलोचना कतई नहीं होनी चाहिए और न ही इसे बर्दास्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो राज्यसभा का बुलेटिन सदन की बेहतरी में ही मदद करेगा। चूंकि यह उच्च सदन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि आलोचना और वाद-विवाद संसदीय परंपरा का ही हिस्सा हैं। जब तक कि आलोचना पूर्वाग्रह से ग्रसित या व्यक्तिगत न हो, तब तक उसका पुरजोर स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ यही पवित्र भाव देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी है, मसलन- अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। उसके फैसलों से असहमति जताई जा सकती है और उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। इस प्रकार आलोचना और असहमति की आजादी के बिना यह सबकुछ संभव ही न होता।

लेकिन सदन में विपक्ष से तनाव न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी चुनावी राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष से हर बात पर सहमति की उम्मीद करना बेमानी ही है। फिर अभी देश का जैसा सियासी माहौल है, उसमें सदन के भीतर और बाहर टकराव आम बात है। वाकई पिछले कई उदाहरण है, जहां विपक्ष और आसन (चेयर) के बीच तनाव भरे रिश्ते देखने को मिले थे। सच कहूं तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में यह तनाव बिल्कुल चरम पर था और इसी गफलत की भेंट भी वह चढ़ गए या चढ़ा दिए गए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की एक टिप्पणी को लेकर राज्यसभा की प्रिविलेज कमिटी में मामला चल रहा है, जो उसी तनाव का नतीजा है। लिहाजा, इस तरह की प्रवृत्ति से नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को सचेत रहना चाहिए।

जहां तक लोकतांत्रिक मर्यादा के ख्याल का सवाल है तो यह कहना उचित होगा कि लोकतंत्र में कोई भी आलोचना के परे नहीं कहा जा सकता लेकिन यह तो बिल्कुल बेहतरी का जरिया है। बहरहाल, राज्यसभा बुलेटिन से ऐसा भी लग सकता है कि सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। हां, इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति या आलोचना का अधिकार भी कुछ सीमाओं के साथ लागू होता है। इसलिए इन्हें पहचानने और मानने की दरकार है, ताकि स्वस्थ आलोचनात्मक परंपरा फलती फूलती रहे।

यही वजह है कि संसदीय सत्र की शीतकालीन बैठक बेहद चुनौती पूर्ण रह सकती है। खासकर राज्यसभा व लोकसभा दोनों में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मात खाया विपक्ष अब एसआईआर को लेकर आक्रामक होगा।इससे विपक्षी एकता को भी बल मिलेगा, जो निज सियासी स्वार्थवश नारंगी की तरह भीतर से विभाजित, पर ऊपर से एक होने का नया स्वांग रचेगा। इस प्रकार शीतकालीन सत्र सरकार और विपक्ष के संबंधों की नई आजमाइश साबित होने वाली है। चूंकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए यह पहला सत्र है, इसलिए उन्हें चौकन्ना रहना होगा। वैसे भी बीते मॉनसून सत्र का अनुभव अच्छा नहीं था। तब राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी केवल 38.88% थी और केवल 41.15 घंटे काम हो पाया था। इस बार भी SIR का मुद्दा गरम है। लिहाजा राधाकृष्णन के सामने संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कब क्या कर बैठेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शहंशाह गृहमंत्री अमित शाह कब कौन सी रणनीति लेकर विपक्ष पर टूट पड़ेंगे, पूर्वानुमान लगाना कठिन है। वैसे भी लालकिला दिल्ली आतंकी बम ब्लास्ट की घटना से सरकार के तेवर आतंक परस्त विपक्ष को लेकर आक्रामक है। इंडिया गेट अर्बन नक्सली कांड से सरकार गम्भीर हो चुकी है।एसआईआर पर कांग्रेस और ममता के तेवर से सरकार चौकन्नी हो चुकी है। इसलिए विपक्ष को भी राष्ट्रवादी संवेदनशीलता दिखानी होगी, अन्यथा सियासी महाभारत तय है। जब युद्ध या प्रेम होगा तो स्वाभाविक रूप से सबकुछ जायज ठहराने की नापाक कोशिश होगी ही। अबतक भी तो यही सब कुछ हुआ है न!

कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

संस्कारशाला : "बचपन को बचाइए - मोबाइल और सोशल मीडिया की गिरफ्त से"

- डॉ. अंकुर शरण

आज की दुनिया तकनीक से चलती है, लेकिन चिंता तब बढ़ती है जब तकनीक हमारे बच्चों को चलाने लगती है। यह सच है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे जीवन के कई काम आसान करते हैं, लेकिन बचपन की नज़र, याददाश्त, और स्वभाव पर इनका असर गहरा और कभी-कभी खतरनाक भी होता है।

संस्कारशाला का उद्देश्य है कि हम बच्चों को न सिर्फ ज्ञान दें, बल्कि सही जीवन दिशा भी दें जो उन्हें संतुलित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाए।

1. मोबाइल की रोशनी और बच्चों की आँखें

मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट बच्चों की आँखों पर सबसे ज्यादा असर डालती है।

आँखों में जलन
सिरदर्द
कम उम्र में चश्मे का नंबर बढ़ना
दूर की चीज़ें धुंधली दिखना

ये सब उसी के परिणाम हैं कि बच्चे घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं — खेल, वीडियो, रील्स और चैट में।

२. लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल और सुनने की क्षमता

कई बच्चे पढ़ाई, गेम या संगीत के लिए लगातार ईयरफोन लगाए रहते हैं। इससे

कानों के पर्दे पर प्रेशर
सुनने की क्षमता में कमी
चिड़चिड़ापन
नींद में दिक्कत

जैसी समस्याएँ पनप रही हैं।

यह धीरे-धीरे होने वाली समस्या है पर असर बहुत गहरा होता है।

३. सोशल मीडिया की आभासी दुनिया: तुलना, भ्रम और तनाव

बच्चे अपनी तुलना दूसरों की पोस्ट, फोटो, और वीडियो से करने लगते हैं।

आत्मविश्वास में कमी
वास्तविक जीवन से कटाव
फ़ेक लाइफस्टाइल की नकल
भावनात्मक अस्थिरता

सोशल मीडिया बच्चों की भावनाओं पर काम करता है, और यही सबसे खतरनाक पहलू है।

4. AI की अत्यधिक निर्भरता: स्मृति शक्ति और रचनात्मकता पर वार

आज बच्चे छोटी से छोटी जानकारी के लिए भी AI, सर्च इंजन या चुटकियों में मिलने वाले उत्तरों पर निर्भर होने लगे हैं।

इसका परिणाम—

याद रखने की क्षमता कम
सोचने-समझने की कौशल कमजोर
समस्या समाधान की क्षमता घटना

बच्चे चीजें याद नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता है कि "AI से पूछ लेंगे।"

यह आदत भविष्य में खतरा बन सकती है।

5. कम लिखना, खराब लिखावट और मानसिक प्रभाव

मोबाइल और स्क्रीन की वजह से बच्चे लिखना बहुत कम कर देते हैं।

लिखावट खराब होती है
हाथों की मांसपेशियाँ कमजोर होती हैं
धीमी लेखन क्षमता
परीक्षा के समय हाथ दर्द और थकावट

सबसे बड़ी बात — लिखने से दिमाग सक्रिय होता है, और जब बच्चे लिखना छोड़ देते हैं तो रचनात्मकता कमजोर पड़ती है।

6. माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका

घर में "नो-मोबाइल टाइम" तय करें
पढ़ाई के समय मोबाइल पूरी तरह बंद रखें
ऑफलाइन गेम्स, आउटडोर खेल, पुस्तक पढ़ने, चित्रकारी, संगीत जैसे विकल्प दें
हर सप्ताह नो स्क्रीन डे रखें
बच्चों के साथ समय बिताएं — बातें, कहानियाँ, खेल

बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, इसलिए माता-पिता का व्यवहार सबसे बड़ा पाठ बनता है।

7. बच्चों को यह समझाना जरूरी है

मोबाइल एक सुविधा है, जीवन नहीं
सोशल मीडिया मनोरंजन है, पहचान नहीं
AI एक साधन है, मस्तिष्क का विकल्प नहीं

परिचय

मैं डॉ. अंकुर शरण, पिछले कई वर्षों से बच्चों और युवाओं के साथ निकटता से कार्य कर रहा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के शीर्ष विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और ecosystem partners के साथ मिलकर मैंने इस पीढ़ी में संतुलन, संवेदनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया है।

मेरी पहल संस्कारशाला और रिदमशाला का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के भीतर एक ऐसी "रिदम" विकसित करना है जो उन्हें तकनीक, भावनाओं, सामाजिक जीवन और सीखने के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करे।

हमारी कोशिश है कि हर बच्चा अपनी असली दुनिया—पेड़ों की हरियाली, खेलते बच्चों की हँसी, किताबों की खुशबू और परिवार के साथ बिताए पल—इन सबको महसूस करे, जिए और समझे कि जीवन स्क्रीन से कहीं अधिक सुंदर है।

हम मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और जीवन में सही दिशा पकड़ने वाली हो।

माँ करणी सेना ने किया ब्राह्मण समाज का समर्थन

इन्दौर माँ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर धर्मेन्द्र सिंह गौतम ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिस प्रकार सतोष वर्मा जो की आईएएस है उनका बयान "ब्राह्मण समाज की बेटी से विवाह करना और संबंध स्थापित करना तब ही आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू होगा", इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गौतम ने कहा, यदि वर्मा माफ़ी नहीं माँगते तो माँ करणी सेना उन्हें सबक जरूर सिखायेगी।अगर क़ानून का राज हे तो एफ आई आर जरूर होनी चाहिए।

माँ करणी सेना के जिला अध्यक्ष बाला ठाकुर ने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम के आदेश करणी सेना की इंदौर इकाई पूरी तरह से ब्राह्मणो के साथ है और हर तरह से सहयोग देंगे। उन्होंने आगे कहा की पहले आरक्षित वर्ग में आपस में विवाह सबंध होना चाहिए फिर ब्राहण समाज की बात करें। इस तरह की टिप्पणी एक वरिष्ठ अधिकारी को शोभा नहीं देती है। एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी की इतनी छोटी सोच समझ से परे है।

प्रेषक मां करणी सेना जिला अध्यक्ष
गोविंद सिंह पंवार इन्दौर

अवैध बालू परिवह का विरोध कर रहे जेऐलकेएम नेता को थाने मे निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में धरना- प्रदर्शन

* सरायकेला खरसावां जिला में करोड़ों रु का बालू का खेल *

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला : बालू , कोयला , पत्थर आदि का अवैध उत्खनन व परिवहन का पर्याय बना झारखंड इन दिनों पुन: सुर्खियों है ।इसी क्रम में सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ पुलिस द्वारा अवैध बालू परिवहन व पुलिस द्वारा कथित उगाही के विरोध जताने पर जेएलकेएम पार्टी के विधानसभा चुनाव उम्मीदवार तरूण महतो को पुलिस ने नंगाकर बेरहमी से थाने में पीटने के विरोध में सैकड़ों की तदाद में पुरूष महिलाओं ने सरायकेला जिला समाहरणालय पर धरना दिया तथा सरकार , पुलिस , प्रशासन विरोध की नारेबाजी की ।

पार्टी जिलाध्यक्ष दीपक महतो के नेतृत्व में सरायकेला समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को किया ।जिसमें महिला व बच्चे भी भारी संख्या में मांग पोस्टर लिए धरना स्थल पर मौजूद थे ।दर्जनों वक्ताओं ने प्रशासन व सरकार को इन अवैध कारोबार के विरोध में चुनौती भी दी डाली ।

सुबह 10 बजे से जारी धरने के उपरांत अपरान्ह २ बजे एक मांग पत्र उपायुक्त नितिश कुमार सिंह को सौंपा गया ।मांग पत्र में कहा गया कि विगत कुछ दिनों से प्रतिदिन रात में ईचागढ़ थाना अंतर्गत अवैध बालू का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है ।इससे राजस्व में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।झारखण्ड उच्च न्यायालय का कॉन्टेम केस नं0-९६/२०२५ का आर्डर में में साफ जिक्र है कि जब तब तक झारखण्ड में पेसा कानून लागू नहीं होता तब तक बालू घाट का नीलामी बंद रहेगी। परन्तु धरातल में उसका विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है, बालू माफियाओं द्वारा रातों रात बड़े-बड़े भारी वाहनों (।100-150 हाइवा) से अवैध बालू का परिचालन कर बड़े बड़े शहरों एवं अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है।झारखंड में अवैध बालू खनन से राजस्व को भारी क्षति होती है, अवैध बालू खनन से न केवल सरकारी राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और राज्य के आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिला के अंदर हो रहे अवैध खनन को रोक लगाने हेतु सकारात्मक पहल किया जाय अन्यथा जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जायेगा।

उधर घटना के दिन का जीक्र करते हुए कहा गया कि तरूण महतो अवैध बालू परिवहन में लगे हाईवा वाहन को पकड़ कर प्रशासन के जिम्मे देना चाहता था ।पुलिस संरक्षण चलायें जा रहे उन वाहनों को पकड़े जाने पर तरूण को नंगाकर बेरहमी से पीटा गया ।उसे बेरहमी से पीटकर अधमरा कियागया ।जब एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है । मांग पत्र में कहा गया कि अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु सकारात्मक पहल करने एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जनता व जनप्रतिनिधि को अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाएं।धरना प्रदर्शन में सरायकेला सीट के विधानसभा प्रत्याशी प्रेम मार्डी सहित अन्य सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे।

सरायकेला उपायुक्त नितिश सिंह ने शैक्षणिक डिजिटल एजूकेशन स्टूडियो का किया उद्घाटन

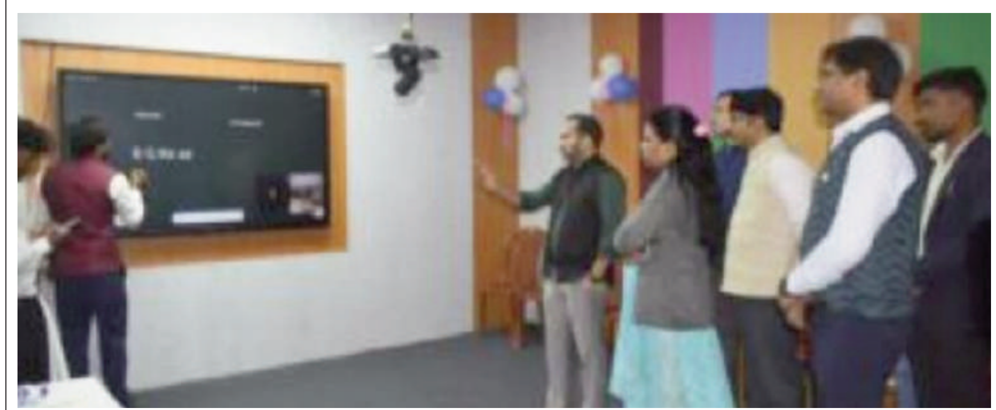

सुदूर कुचाई जैसे इलाकों में शैक्षणिक सुविधा के लिए बड़ा कदम

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला , जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ नितिश कुमार सिंह द्वारा "शिक्षा सेतु डिजिटल एजुकेशन स्टूडियो" का विधिवत शुभारंभ फीता काटकर किया गया। यह पहल जिले में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं समान शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्घाटन के अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि जिले में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्टूडियो क्लासरूम व्यवस्था को विकसित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक केंद्रीय स्टूडियो से ऑनलाइन माध्यम द्वारा अध्यापन कार्य करेंगे तथा सभी संबद्ध विद्यालय द्वि-मार्गी संचार पद्धति के माध्यम से इस स्टूडियो से संयोजित रहेंगे।

इस तकनीक से विद्यार्थी अपने विद्यालय से ही सीधा संवाद स्थापित कर सकेंगे तथा अपने विषय से संबंधित संदेहों का तत्काल समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था दूरस्थ एवं संसाधन-संलक्षित विद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में अत्यंत सहायक होगी। "शिक्षा सेतु डिजिटल एजुकेशन स्टूडियो" का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय शैक्षणिक सामग्री प्रदान करना, विषयगत स्पष्टता बढ़ाना तथा योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन से शिक्षण-प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है।

मौके पर उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।द

डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी रथ या LRI रथ लॉन्च किया

मनोरंजन सासमल ,स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर- ःलैंड रिसोर्स इन्वेंटरी रथ या LRI रथ को आज कृषि भवन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर और फार्मर्स एम्पावरमेंट, पावर मिनिस्टर, श्री कनक बर्धन सिंह देव की देखरेख में लॉन्च किया गया। LRI यात्रा REWARD पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों (नयागढ़, कोरापुट, संबलपुर, ढेंकनाल और देवगढ़) की अलग-अलग ग्राम पंचायतों से शुरू होगी। इसमें देवगढ़ जिले की 8 ग्राम पंचायतें, ढेंकनाल की 14 ग्राम पंचायतें, कोरापुट की 16 ग्राम पंचायतें, नयागढ़ की 19 ग्राम पंचायतें और संबलपुर की 22 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी रथ आज से इन जिलों में शुरू होगा और एक महीने तक चलेगा।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लैंड रिसोर्स की जानकारी का इस्तेमाल करके LRI कार्ड तैयार किए गए हैं। इस कार्ड का इस्तेमाल करके किसान भाई-बहन ज़मीन की सही जगह, सही फसलें, मिट्टी की दिक्कतें और बताए गए उपायों के बारे में जान पाएँगे। इस कार्ड के इस्तेमाल से किसान भाई-बहन अपनी ज़मीन की अलग-अलग फिजिकल और केमिकल क्वालिटी के बारे में जान पाएँगे और फसल चुनना, खाद का मैनेजमेंट, मिट्टी बचाने के तरीके और पानी बचाने के सही तरीके वगैरह तय कर पाएँगे।

इस यात्रा का मुख्य मकसद किसान भाई-बहनों को L.R.I और साइंटिफिक वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में जागरूक करना है। इस यात्रा के ज़रिए किसानों को खास तौर पर एग्रीकल्चर और किसान अधिकारिता विभाग के तहत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ़ सॉइल कंज़र्वेशन एंड वाटरशेड द्वारा दिए गए LRI कार्ड की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा, सब-वाटरशेड के तहत नए काम की शुरुआत और भूमि पूजन, LRI महोत्सव, श्रमदान, पानी की लक्षशाला और पिछले काम की भी शुरुआत की जाएगी। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद संबंधित वाटरशेड इलाकों में किसान ग्रुप के बीच जागरूकता पैदा करना है। कृषि सचिव डॉ. अरविंद कुमार पाढ़ी ने कहा कि इस कार्यक्रम में L.R.I. कार्ड डेटा से लाभ उठाने वाले किसानों को पुरस्कृत करने की योजना है। इसके साथ ही, अगली पीढ़ी को मृदा संरक्षण और जलग्रहण प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर स्कूलों में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में तैनात रथों की गतिविधियों पर MIS मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसके सही उपयोग से जलग्रहण क्षेत्रों में फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है और मिट्टी और पानी का संरक्षण किया जा सकता है, जो जल-छाया वाले क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मृदा संरक्षण और जलग्रहण निदेशक श्री सुब्रत कुमार पंडा, कृषि अधिकारी, मृदा संरक्षण और जलग्रहण अधिकारी मौजूद थे।

हो भाषा लिपि के उद्भावन कर्ता लाखो बोदरा की जयंती उनके पैतृक गांव में मनाई गयी

मुख्य अतिथि डीबार जोंकों ने भाषा संस्कृति संरक्षण पर फोकस किया

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

चाईबासा , पश्चिम सिंहभूम जिला के खूँटपानी प्रखंड के पासेया गांव में हो भाषा के विद्वान तथा उसकी लिपी के अविष्कारक लाखो बोदरा के जन्मभूमि गाँव पर नव वर्ष एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया ।इस श्रद्धांजलि सभा मे कोल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष डिबार जोंको जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए रहे ।सभा मे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए जैसे छोटे-छोटे बच्चों के द्वारा आदिवासी नाच गान और दोना पतल, रस्सी निर्माण , बोढपटा जैसे आदिवासी संस्कृति के पारंपरिक चीजों का बनाने की प्रतियोगिता रखा गया । जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान ग्रहण करने वाले प्रतिभागी को चुना गया । विजेताओं को कोल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कोल्हान रक्षा संघ के अध्यक्ष डिबार जोंको के साथ में सभी सदस्यों को पासेया गांव आदिवासी रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया , जिसमें कोल्हान रक्षा संघ के मानसिंह हेंब्रम जय सिंह हेंब्रम , पूनम हेंब्रम , लक्ष्मी सरदार , रविंद्र मंडल , सुखदेव हेंब्रम, नूनाराम माझी , सिद्धेश्वर सवैया इत्यादि लोग उपस्थित थे।

एक्स एल आर आई अपने विदेशी पार्टनर यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर दिलायेगा एम एस ,एमबीए की डिग्री

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला , भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल (स्थापित 1949 एक्सएलआरआइ/ जेवियर लेवल रिलेशन इंस्टीट्यूट) विदेशी यूनिवर्सिटियों से मिलकर व्यवसायिक शिक्षा में कुछ नया करने जा रहा है .

अब जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर अपने फ्लैगशिप पीजीडीएम (बिजनेस मैनेजमेंट) प्रोग्राम में 9 अंतरराष्ट्रीय स्पेशलाइजेशन ट्रैक शुरू करने जा रही है . ये ट्रैक अमेरिका और फ्रांस की चार विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं.

इस अनोखे प्रोग्राम के तहत छात्रों को एक्सएलआरआइ की पीजीडीएम(बीएम) डिग्री के साथ-साथ विदेशी पार्टनर यूनिवर्सिटी से एमएस /एमबीए डिग्री भी मिलेगी, यानी एक साथ दो डिग्री. एक्सएलआरआइ के डायरेक्टर फादर एस. जॉर्ज एसजे ने कहा, "यह प्रोग्राम भारतीय छात्रों को विश्व स्तर की स्पेशलाइजेशन के साथ ग्लोबल करियर का सुनहरा मौका देगा." नए जमाने की इंडस्ट्रीज यानी हेल्थकेयर, स्पोर्ट्स, एनालिटिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए यह अब तक का सबसे आकर्षक विकल्प साबित होने वाला है.

झारखंड विधिक सेवा निर्देश पर सरायकेला न्यायालय में हुआ संविधान वाचन व शपथ कार्यक्रम

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

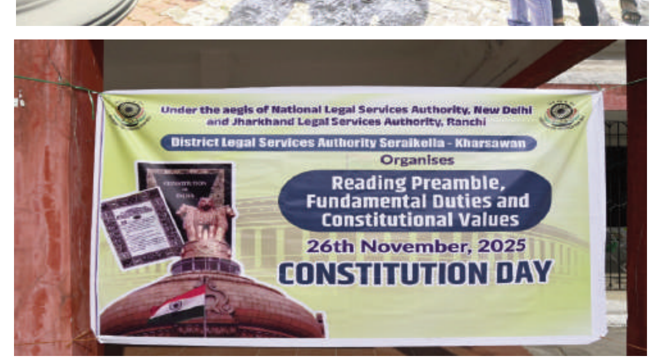

सरायकेला , भारत के संविधान दिवस के अवसर पर सिविल कोर्ट सरायकेला परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। जिसमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों का वाचन किया गया तथा सभी उपस्थित जनों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

सर्व प्रथम रामाशंकर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बिरेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय भी उपस्थित रहे।

चौधरी अहसान मोइज़, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I , ब्रज किशोर पांडेय, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II , दीपक मलिक, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, , लूसी सोसेन तिग्गा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकरी ,अनामिका किस्कू, सिविल जज (वरिष्ठ विभाग)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,तौसीफ मेराज, सचिव, आशीष अग्रवाल, सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , धृति धैर्य, अतिरिक्त सिविल जज (कनिष्ठ विभाग)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ब्रजेश कुमार, लोक अभियोजक,

इनके साथ सिविल कोर्ट के तीसरे और क्लास चौथे वर्ग के कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

सभी ने मिलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक जीवन का आधार है। मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

आईएएस विनय चौबे पर झारखंड एसीबी ने पुन: दर्ज की नई प्राथमिकी अब संगे संबंधी भी आरोपी, मामला झारखंड शराब घोटाले का

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ एक नई प्रार्थमिकी दर्ज की है. इसमें उनके कई करीबी रिश्तेदार और दोस्त विनय सिंह समेत कुल सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. आरोप है कि इन सभी ने मिलकर भ्रष्टाचार के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की है.

नामजद आरोपियों में आईएएस विनय चौबे,पत्नीः स्वप्ना संचिता,दोस्त और निवेशकर्ताः विनय सिंह,विनय सिंह की पत्नीः संचिता सिंह,पटना के सालेः शिपिज त्रिवेदी,शिपिज की पत्नीः प्रियांका त्रिवेदी,ससुरः एसएन त्रिवेदी

प्रार्थमिकी में आरोप है कि इन सभी ने फर्जी लेन-देन और बेनामी संपत्ति के जरिए आय से अधिक संपत्ति बनाई. जांच में खुलासा हुआ है कि विनय चौबे और उनके करीबी लोगों के खातों में लगभग 3.47 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि उनकी ज्ञात आय 2.20 लाख रुपये के करीब थी. इस तरह करीब 1.27 करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध पाई गई है, जो ज्ञात आय से 53 प्रतिशत ज्यादा है.

जांच में यह भी पाया गया कि कई खातों का उपयोग नकद जमा, आरटीजीएस लोन चुकाने, संपत्ति खरीदने और कंपनियों को भुगतान करने में किया गया. आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने में विनय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विनय चौबे और विनय सिंह पहले से ही शराब घोटाला और जमीन घोटाला मामलों में गिरफ्तार हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं. नई प्रार्थमिकी के बाद केस और गंभीर हो गया है. एसीबी अब विस्तृत ट्रांजैक्शन ऑडिट और बेनामी संपत्ति की जांच कर रही है. आरोपियों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

महिला मरीज़ों को ECG टेस्ट के दौरान सही प्राइवेसी नहीं मिलती

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

जाजपुर/भूबनेश्वर : जाजपुर डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में आने वाली महिला मरीज़ों को ECG टेस्ट के दौरान सही प्राइवेसी न मिलने की वजह से मानसिक परेशानी हो रही है। बार-बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मरीज़ों के मुताबिक, हॉस्पिटल महिला मरीज़ों को कोई प्राइवेसी नहीं देता, जबकि ECG टेस्ट के दौरान उन्हें छाती के हिस्से से अपने कपड़े हटाने पड़ते हैं। ECG रूम में कोई पर्दा नहीं है और महिला की जांच के दौरान भी कई पुरुष स्टाफ़ मौजूद रहते हैं। इस वजह से महिला मरीज़ों को असहज महसूस होता है। संपर्क करने पर, मेडिकल अधिकारियों ने कहा कि महिला स्टाफ़ अभी ट्रेनिंग ले रही है और प्रोसीजर के दौरान गायब रहती है। कुछ मरीज़ों ने कहा कि जाजपुर हेड हॉस्पिटल में सुविधा होने के बावजूद, हम प्राइवेसी की कमी के कारण उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें मजबूरन प्राइवेट क्लीनिक जाना पड़ता है और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

महिला मरीज़ों और उनके परिवारों ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए

और इलाज के दौरान महिलाओं की बुनियादी इज्जत और प्राइवेसी सुनिश्चित की जाए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023